

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH: NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION No. 61 OF 2022

**(Under Section 18 of the National Green
Tribunal Act, 2010)**

**Counter Affidavit/Reply on behalf of the
Respondent no.7.**

IN THE MATTER OF:

All India Kaimur People's Front .. Applicant

Versus

The State of U.P. &Ors. ..Respondents

INDEX

S.No	Description	Pages
1	Counter Affidavit/Reply on behalf of the Respondent no.7.	1-15
2	^c Annexure-1 (Colly) True/ Photocopy of the joint inquiry report dated 21.01.2021 notice dated 12.02.2021 and receipt of the amount deposited by the respondent no.7.	16-35
3	^c Annexure-2 True/ Photocopy of the letter issued by the Director	36-38

	Director Minins Safety Varansi dated 28.01.2022	
4	<u>Annexure 3</u> True / Photocopy Khatoni of the Khata no.3673.	39-45
5.	Vakaltnama	46

Filed by

Shivam
S.K. Singh
 (Shailesh Kumar Pathak
 E.Roll. UP-6031/2000,
 Sunil Kumar Singh &
 Shivam Tripathi
 Advocates
 Counsel for the Respondent no.7
 Ch.No. 222, 2nd Floor,
 Supreme Court of India
 New Delhi-110001
 Mob: 9839153384
 Email: skpathakadv@gmail.com

Place: New Delhi

Dated: 29/6/22

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH: NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION No. 61 OF 2022

**(Under Section 18 of the National Green
Tribunal Act, 2010)**

Counter Affidavit/Reply on behalf of the
Respondent no.7.

1. Sh. Rajesh Kumar S/o Late Kaliram, R/o
Chopan, District Sonbhadra, U.P.-231205.
2. Smt. Farida Begum, W/o Imtiyaz Ahmad,
R/o Chopan, District Sonbhadra, U.P.-
231205.

IN THE MATTER OF:


All India Kaimur People's Front .. Applicant

Versus

The State of U.P. &Ors. ..Respondents

To,

The Hon'ble Chairman and his other
companion members of the aforesaid tribunal.



Most Respectfully Showeth:

1. That deponent, Rajesh Kumar aged about 56 years, S/o Late Kaliram, R/o Chopan, District Sonbhadra, U.P.-231205 is the respondent no.7 in the present original application being well conversant with the facts of the case competent to swear this application.
2. That before giving parawise reply of the O.A. the deponent craves leave certain facts which are necessary for the adjudication of the controversy involved in this case.
3. That the applicant who has said to be the non-government organization namely All India Kaimur People's Front is really no organization. They have not maintain any records but for extortion of money from the mining lease holders particularly in District Sonbhardra filed a different public interest



litigation and original application before the court and tribunal as the best knowledge of the deponent the financial assistance has been done by the other business dwellers whose business effected otherwise, so the application is not N.G.O. but tools used to business dwellers particularly in District Sonbhadra. It can be verified by the tribunal summoning the details of the cases filed by the applicant and source of the income of the applicant.

4. That the facts of the original application is totally misconceive and suppression of the material fact as such that may be dismissed by this Hon'ble Tribunal with cost.


5. That the present original application has been filed stating the illegal mining is being carried out near the DAM. But they have not mentioned the name of the DAM so the



tribunal has granted permission for amendment bringing the name of DAM on record (It is clear from the order dated 16.02.2022 of this O.A. Para-2).

6. That the applicant very cleverly giving the name of the DAM is the village DAM/Chuk DAM translated the Hindi BANDH which are the Medha/Excess Land in District Sonbhadra and that is called Bandh excess land between two plots i.e. also classified the revenue record Verg-6(4) and the DAM is classified as Verg-6(2) in the revenue record.


7. That the deponent along with the Smt. Farida Begum are the mining lease holders of the Arazi No. 7584,7586, 7590 of the Village Billi Markundi, District Sonbhadra and the Obra Dam is 5 K.M. from the mining lease area of the deponent. It is also pertinent to mention that that Arazi No.



7585, area 8 Biswa, and 7587 area 6 Biswa are wrongly recorded both in the revenue record Arazi no. 7587 Kh. the name of the Panchu had been recorded in the revenue record which has been expunged by Record Officer Sonbhadra against this order Revision No. 2016166600624 of 2016 is pending before the Board of Revenue Lucknow and for Arazi No. 7585 and 7587 Appeal No. D20201666000 is pending before Record Officer Robertsganj, Sonbhadra, Asha Devi Versus State of U.P.

8. That the Dam is a barrier that stops or restricts the flow of surface water or underground streams reservoirs created by

Dams not only suppress floods but also provides water for activities such as irrigation, human consumption industrial used etc.




Reservoir is large lake where water is stored to be used by a particular area, city etc.

There, is no Dam are reservoir but that banth Verg-6(4), which is local word in district Sonbhadra which is the excess land leaved between Arazis i.e. not called the Dam/Reservoir.

9. That now the U.P. Minor Mineral (Concession) Rule,1963 has been Supersession by the U.P Minor Mineral (Concession) Rule,2021 as such the provisions of the Rule, 1963 is not applicable, hence filing the O.A. in the year 2022 mentioning the old rule is totally misconceive as such tis original application may dismissed.



10. That the deponent is not carried out any illegal mining out of the mining area granted in favour of the respondent no.7.
11. That joint inquiry has been conducted on 21.01.2021 to 25.01.2021 in which no illegal mining was found by the inquiry team except to illegal mining of 298 Cubic Meter for which District Magistrate Sonbhadra issued notice on 12.02.2021 charged the illegal mining of 298 Cubic Meter for which respondent no.7 has deposited amount Rs.3,11,080/- on 10.03.2021. True/ Photocopy of the joint inquiry report dated 21.01.2021 notice dated 12.02.2021 and receipt of the amount deposited by the respondent no.7 are being filed herewith and marked as Annexure C-1 (Colly) to this reply.



12. That the mining operation was stopped on 28.01.2022 by the Director Minins Safety Varansi for the reform, Safety purposes which has been completed and again the mining operation has been started from 01.06.2022. True/ Photocopy of the letter issued by the Director DirectorMinins Safety Varansi dated 28.01.2022 is being filed herewith and marked as Annexure C-2 to this reply.

PARA-WISE REPLY

13. That the contents of the paragraph no.1 of the original application is not admitted suitable reply has already been given in in paragraph-3 of this reply/counter affidavit.



That the contents of the paragraph no.2& 3 of the original application are not applicable hence denied for regulating the minor minerals in U.P. new rules has been framed


namely Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rule, 2021 and the provisions of the Rule, 2021 is applicable since 2021.

15. That the contents of the paragraph no.4 of the original application need no comments.

16. That the contents of the paragraph no.5(i) of the original application need no comments because i.e. for the registration mining lease deed in favour of the respondent no.7 and para no. 5(ii) and 5(iii) respondent no.7 has no concerned because that is for respondent 8 & 9.

17. That the contents of the paragraph no. 6(i) of the original application are misconceived hence vehemently denied further deponent

states that deponent has not carried out any illegal mining work on Arazi no. 7585, 7587 of the Village Markundi moreover, Arazi number above mentioned is not Dam as




stated in the O.A., detailed reply has already been given in the preceding paragraphs of this counter affidavit/reply, further Nala's Arazi 7611 is far away from the mining area of the respondent no.7 and Arazi number 7589, 7612, 7683 are not adjacent to the granted mining area of the respondent no.7, deponent again humbly states that he has not excavated out of his mining lease area.

18. That the respondent no.7 have no concerned of the contents of the paragraph no.6(ii) & 6(iii) of the original application.

19. That the contents of the paragraph no.7 of the original application is misconceived/ incurred hence denied. Detailed reply has

already been given in the preceding paragraphs of this reply and further deponents states that U.P. Minor Mineral (Concession) Rule, 2021 no where it has been



provided the mining within 50 Meter of Bandh and Annexure-5 of O.A. which the Khatoni of Arazi no. 7585 and 7587 is incomplete because on page 82 of the O.A. it has been mentioned in the Khatoni for see the order of the Khata no. 3673 as such Khatoni of the Khata no.3673 is the part of the same so the deponent is filing the Khatoni of the Khatan no. 3673 which is **Annexure C-3** to this counter affidavit.

That the Annexure-6 of the O.A. is not complete Map being misconceived denied

Relevant part of Rule-42 of the U.P. Minor Mineral (Concession) Rule,2021 are quoted below.

Restrictions and conditions as to exercise of the liberties, power and privilege of -




Rule 42(e)- no mining operation shall be carried on at or to any point within a distance 50 metres from any railway line except with the previous written permission of the Railway Administration concern or from any reservoir, canal or other public works, such as public road and building or inhabited site except with the previous written permission of the District Officer or any other officer authorised by the State Government in this behalf and otherwise than in accordance with such instructions and conditions either general or special, which may be attached to such permission.

The said distance of 50 metres shall be measured in case of railway, reservoir, canal

or road horizontally from the outer toe of the bank or the outer edge of the cutting, as the

case may be, and in case of the building

horizontally from plinth thereof:



Provided that the distance in the case of a village road shall be 10 metres from the outer edge of the cutting”.


20. That the contents of the paragraph no.8 of the original application is incorrect, hence denied near the Arazi of the deponent there is no Nala or Arazi no. 7611, this can be verified by Map also.

21. That the contents of the paragraph no.9 & 10 of the original application are incorrect, hence denied. Suitable reply has already been given in the preceding paragraphs of this reply.

22. That the respondent no.7/deponent have no concerned of the contents of the paragraph

no.11, 12,13& 14 of the original application

for respondent no.8.




23. That the contents of the paragraph no.15 of the original application are misconceived hence denied.

24. That the respondent no.7/deponent have no concerned of the contents of the paragraph no.16,17& 18 of the original application i.e. for respondent no.9.

25. That the contents of the paragraph no.19, 20 & 21 of the original application are misconceived hence denied. Suitable reply have already been given in the preceding paragraphs of this reply, that deponent/respondent no.7 have not carried out any illegal mining over the areas which was not granted in favour of the respondent no.7 and

the ground taken that within 50 metres of Dam actually i.e. Bandh and recorded as Verg (4) as such the original application may be dismissed by this Hon'ble Tribunal.



In view of the above facts and circumstances, the application is replied accordingly.

राजेश कुमार
Deponent

Verification:

I, the above named deponent, do hereby verify that the contents of above affidavit are true to my knowledge derived from official record. No part of the same is false and nothing has been concealed there from.


29 JUN 2022

Verified on this the 29 day of June, 2022 at

New Delhi.

राजेश कुमार
Deponent

Attest my Deponent was Read
Signed at T.I. in my presence



ATTESTED

NOTARY (Govt. of India)
Neelam Sharma
Advocate
Sh No 165A, Gate No. No. 116
Patela House Courts,
New Delhi-110001
(M): 9899408301

29 JUN 2022

-: संयुक्त जाँच आख्या :-

भूतत्व एवं खनिकर्मा निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-1994/ एम-प्रवर्तन सोनभद्र/2020 दिनांक 18.01.2021 में उल्लिखित निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी महोदय सोनभद्र ने अपने आदेश संख्या-230/खनिज/2021 दिनांक 19/01/2021 के द्वारा गठित राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम को जनागद-सोनभद्र की तहसील-ओवरा के ग्राम- विल्ली मारकुण्डी में स्वीकृत/रांचालित मिट्टी पत्थर (ओलो स्टोन) के खनन पट्टों में करिष्य पट्टाधारकों द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर अत्यधिक गहराई में खनन कर सुरक्षा मानकों का अनुपालन न करने, स्वीकृत मात्रा से अधिक मात्रा का खनन कर परिवहन करने एवं स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध खनन किये जाने के सम्बन्ध में स्थलीय जाँच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के अनुपालन में ग्राम- विल्ली मारकुण्डी में स्वीकृत/रांचालित खनन क्षेत्रों की जाँच/पैमाईश दिनांक 21.01.2021 से 25.01.2021 तक संयुक्त रूप से गठित टीम के सदस्यों द्वारा तहसीलदार ओवरा की उपस्थिति में किया गया, जिनका क्षेत्रवार विवरण निम्नवत् है-

1- श्री अनिल कुमार निषाद पुत्र श्री राधेश्याम निषाद व श्री लल्लू प्रसाद पुत्र श्री डिंगूर प्रसाद निवासी गण ग्राम-कोटा डाला, तहसील राधेश्याम, जनपद-सोनभद्र।

प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में संयुक्त रूप से गठित टीम के सदस्यों द्वारा पैमाईश/निरीक्षण की गयी। खनन पट्टा क्षेत्र में एक स्थान में खनन पिट्टस बनाकर खनन कार्य किया जाना पाया गया, जिसका जी०पी०एस० द्वारा सर्वेक्षण किया गया है। खनन पट्टे का विवरण एवं जाँच आख्या निम्न प्रकार है:-

पट्टाधारक का नाम	आराजी संख्या	रकबा (एकड़ में)	पट्टा अवधि		इ०पी० में स्वीकृत मात्रा (घन मी० प्रति वर्ष)	पट्टाधारक द्वारा जारी किये गये पत्र ई एम० एम०-11 के अनुसार खनिज की मात्रा (घन मी० में)	दिनांक 25.01.2021 को संयुक्त जाँच आख्या के अनुसार वार्षिक खनन की मात्रा (घन मी० में)	खनन पट्टा क्षेत्र से निकाली गयी अतिरिक्त खनिज की मात्रा (घन मी० में) (8-7)	ज०पी०एस० संख्या
			दिनांक से	दिनांक तक					
श्री अनिल कुमार निषाद व श्री लल्लू प्रसाद	7364 ग / 1, 7367, 7368, 7369, 7371क, 7372क, 7377क, 7378ग	2.798	31.05.2016	30.05.2028	10,000 × 2 वर्ष = 20,000 घन मी०	17.01.2020 से दिनांक 25.01.2021 तक 12,145 घन मी० हेतु ई एम०एम० 11 जारी किया गया है।	48 मी० × 30 मी० × 8.64 मी० = 12,441 घन मी०	12,441 - 12,145 = 296	A- 24°28'8.12" N, 83°01'47.33" E B- 24°28'9.14" N, 83°01'49.32" E C- 24°28'8.65" N, 83°01'49.17" E D- 24°28'8.87" N, 83°01'51.79" E E- 24°28'8.16" N, 83°01'51.70" E F- 24°28'7.21" N, 83°01'51.05" E G- 24°28'6.82" N, 83°01'51.13" E H- 24°28'3.99" N, 83°01'49.84" E I- 24°28'4.21" N, 83°01'49.89" E J- 24°28'4.62" N, 83°01'49.60" E K- 24°28'5.14" N, 83°01'49.01" E L- 24°28'6.82" N, 83°01'49.14" E M- 24°28'7.17" N, 83°01'49.99" E N- 24°28'6.67" N, 83°01'49.73" E O- 24°28'5.06" N, 83°01'49.51" E P- 24°28'5.20" N, 83°01'47.75" E Q- 24°28'4.35" N, 83°01'47.64" E R- 24°28'4.97" N, 83°01'49.15" E S- 24°28'5.92" N, 83°01'49.19" E

खनन पट्टे के स्थल निरीक्षण के समय स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खनन कार्य किये जाने के चिन्ह परिलक्षित नहीं हुये। जाँच के समय स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में सी०सी०टी०वी० कैमरा, वे ग्रिज, साईन बोर्ड एवं सीमा स्तम्भ लगे पाये गये, जिसमें से दो सीमा स्तम्भ क्षतिग्रस्त थे। प्रश्नगत क्षेत्र के लिये निर्गत पर्यावरण अनापत्ति में मात्रा 10,000 घन मी० प्रतिवर्ष निर्धारित है।

दिनांक 25.01.2021 तक पट्टेधारक द्वारा पट्टावर्ष में 4,415 घन मी० मात्रा का उपयोग की जा चुकी है। 4,028 घन मी० मात्रा अवशेष बची है। स्वीकृत क्षेत्र में खनन की स्थिति मानचित्र पर अंकित कर संलग्न की जा रही है।

2- मां विन्ध्य स्टोन क्रसिंग कम्पनी, वारी डाला, सोनमद्र पा०-श्री प्रवीन कुमार पुत्र स्व० बलिराम प्रसाद निवासी-महमूरगंज, जनपद-वाराणसी, श्री मिथिलेश कुमार पुत्र श्री सुन्दर लाल अग्रहरि निवासी-पश्चिम मोहाल, गोपीगंज, गदौही, श्री दिनेश कुमार पुत्र स्व० जय नारायण निवासी-चोपन, जनपद-सोनमद्र एवं श्री सत्यपाल अग्रवाल पुत्र श्री शिव नारायण अग्रवाल निवासी-चोपन, जनपद-सोनमद्र।

प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में संयुक्त रूप से गठित टीम के सदस्यों द्वारा पैमाईश/निरीक्षण की गयी। खनन पट्टा क्षेत्र में दो स्थानों में खनन पिट्स बनाकर खनन कार्य किया जाना पाया गया, जिसका जी०पी०एस० द्वारा सर्वेक्षण किया गया है। खनन पट्टे का विवरण एवं जाँच आख्या निम्न प्रकार है:-

पट्टाधारक का नाम	आराजी संख्या	रकबा (एकड़ में)	पट्टा अवधि		इ०र० में स्वीकृत मात्रा (घन मी० प्रति वर्ष)	पट्टाधारक द्वारा जारी किये गये प्रच० ई एम० एम०-11 के अनुसार खनन की मात्रा (घन मी० में)	दिनांक से दिनांक तक	खनन पट्टा क्षेत्र के अनुसार कार्यात्मक खनन की मात्रा (घन मी० में)	खनन पट्टा क्षेत्र में निर्यात की गयी अतिरिक्त खनन की मात्रा (घन मी० में) (3-7)	ज०र०र०र० संकेत
			दिनांक से	दिनांक तक						
मां विन्ध्य स्टोन क्रसिंग कम्पनी पा०-श्री प्रवीन कुमार	7423क, 7424क, 7425घ, 7416, 7426, 7417गि०, 7418घि०, 7419घि०, 7420क, 7421क, 7425क	3.71	15.07. 2016	14.07. 2026	70,000 × 4 वर्ष = 2,80,000 घन मी०	09.09.2017 से दिनांक 25.01.2021 तक 2,02,260 घन मी० हेतु ई एम०एम० 11 जारी किया गया है।	(1) 66 मी० × 46 मी० × 33 मी० = 1,15,368 घन मी० (2) 56 मी० × 27 मी० × 29.49 मी० = 47,437 घन मी० कुल खनन मात्रा 2,03,805 घन मी०	2,03,805	-	A-24°23'6.41"N, 83°01'55.59"E B-24°23'9.75"N, 83°01'57.17"E C-24°23'11.21"N, 83°01'57.51"E D-24°23'11.25"N, 83°01'56.56"E E-24°23'12.20"N, 83°01'56.77"E F-24°23'12.22"N, 83°01'56.31"E G-24°23'11.05"N, 83°01'59.04"E H-24°23'10.45"N, 83°01'57.45"E I-24°23'7.55"N, 83°01'57.30"E J-24°23'8.15"N, 83°01'57.25"E K-24°23'7.55"N, 83°01'57.75"E L-24°23'7.55"N, 83°01'57.41"E M-24°23'8.24"N, 83°01'56.51"E

खनन पट्टे के स्थल निरीक्षण के समय स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खनन कार्य किये जाने के चिन्ह परिलक्षित नहीं हुये। जाँच के समय स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में सी०र०सी०टी०वी० कैमरा, वे ब्रिज, साईन बोर्ड एवं सीमा स्तम्भ लगे पाये गये, जिसमें से तीन सीमा स्तम्भ क्षतिग्रस्त थे। प्रश्नगत क्षेत्र के लिये निर्गत पर्यावरण अनापत्ति में मात्रा 70,000 घन मी० प्रतिवर्ष निर्धारित है। दिनांक 25.01.2021 तक पट्टेधारक द्वारा पट्टावर्ष में 28,687 घन मी० मात्रा का उपयोग की जा चुकी है। 41,094 घन मी० मात्रा अवशेष बची है। स्वीकृत क्षेत्र में खनन की स्थिति मानचित्र पर अंकित कर संलग्न की जा रही है।

3- श्री संतोष कुमार सिंह पुत्र श्री शिवराज सिंह निवासी शिवपुरी कालोनी, स्टेशन रोड, जनपद-मीरजापुर एवं श्री विजय बहादुर सिंह पुत्र स्व० शीतला सिंह निवासी शाहपुर जनपद-मीरजापुर

प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में संयुक्त रूप से गठित टीम के सदस्यों द्वारा पैमाईश/निरीक्षण की गयी। खनन पट्टा क्षेत्र में एक स्थान में खनन पिट्स बनाकर खनन कार्य किया जाना पाया गया, जिसका जी०पी०एस० द्वारा सर्वेक्षण किया गया है। खनन पट्टे का विवरण एवं जाँच आख्या

(Handwritten signatures)

निम्न प्रकार है:-

पट्टेधारक का नाम	आराजी संख्या	रकबा (एकड़ में)	पट्टा अंश		दोसी में स्वीकृत मात्रा (घन मी० प्रति वर्ष)	पट्टेधारक द्वारा जारी किए गए प्रपत्र नं० एम०-11 के अनुसार प्रति वर्ष जारी किए गए	दिनांक 25.01.2021 को राबुका जल अखला के अनुसार कार्यात्मक खनन की मात्रा (घन मी०) × 30)	खनन पट्टा क्षेत्र से निकाली गयी अतिरिक्त खनिज की मात्रा (घन मी०)	जमींदारों का सिद्ध
			दिनांक से	दिनांक तक					
श्री रामेश कुमार सिंह एवं श्री विजय बहादुर सिंह	आ०-10-3575 हाल नं० 7347क	2.20	20.00	10.00	30,000 × 4 वर्ष = 1,20,000 घन मी०	दिनांक 20.12.2017 से दिनांक 25.01.2021 तक 62,465 घन मी० हेतु प्रपत्र नं० 11 जारी किया गया है।	100 मी० × 50 मी० × 10.00 मी० = 62,725 घन मी०	पट्टा क्षेत्र से निकाली गयी अतिरिक्त खनिज की मात्रा (घन मी०) (6-7)	A- 24°28'24" N, 83°01'37.57" E B- 24°28'52" N, 83°01'41.81" E C- 24°28'02" N, 83°01'41.95" E D- 24°28'55" N, 83°01'37.62" E

खनन पट्टे के स्थल निरीक्षण के समय स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खनन कार्य किये जाने के चिन्ह परिलक्षित नहीं हुये। जाँच के समय स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में सी०सी०टी०वी० कैमरा, वे ब्रिज, साईन बोर्ड एवं सीमा स्तम्भ लगे पाये गये, जिसमें से एक सीमा स्तम्भ क्षतिग्रस्त थे। प्ररनगत क्षेत्र के लिये निर्गत पर्यावरण अनापत्ति में मात्रा 30,000 घन मी० प्रतिवर्ष निर्धारित है। दिनांक 25.01.2021 तक पट्टेधारक द्वारा पट्टावर्ष में 15,916 घन मी० मात्रा का उपयोग की जा चुकी है। 14,084 घन मी० मात्रा अवशेष बची है। स्वीकृत क्षेत्र में खनन की स्थिति मानचित्र पर अंकित कर संलग्न की जा रही है।

4- मे० श्रीकृष्णा स्टोन वर्क्स पा०-श्री रमेश सिंह पुत्र स्व० राजेश्वर सिंह निवासी ग्राम-विल्सी मारकुण्डी, तहसील-रावर्टसगंज, जनपद सोनमद्र

प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में संयुक्त रूप से गठित टीम के सदस्यों द्वारा पैनाईश/निरीक्षण की गयी। खनन पट्टा क्षेत्र में एक स्थान में खनन पिट्स बनाकर खनन कार्य किया जाना पाया गया, जिसका जी०पी०एस० द्वारा सर्वेक्षण किया गया है। खनन पट्टे का विवरण एवं जाँच आख्या निम्न प्रकार है:-

पट्टेधारक का नाम	आराजी संख्या	रकबा (एकड़ में)	पट्टा अंश		दोसी में स्वीकृत मात्रा (घन मी० प्रति वर्ष)	पट्टेधारक द्वारा जारी किए गए प्रपत्र नं० एम०-11 के अनुसार खनिज की मात्रा (घन मी०)	दिनांक 25.01.2021 को राबुका जल अखला के अनुसार कार्यात्मक खनन की मात्रा (घन मी०) × 30)	खनन पट्टा क्षेत्र से निकाली गयी अतिरिक्त खनिज की मात्रा (घन मी०) (6-7)	जमींदारों का सिद्ध
			दिनांक से	दिनांक तक					
मे० श्रीकृष्णा स्टोन वर्क्स पा०-श्री रमेश सिंह	7572क, 7572ख, 7548क, 7564ख /2, 7573क /1,	2.451	26.05	25.05	21,000 × 2 वर्ष = 42,000 घन मी०	दिनांक 17.01.2020 से दिनांक 25.01.2021 तक 31,832 घन मी० हेतु प्रपत्र नं० 11 जारी किया गया है।	41 मी० × 33 मी० × 23.79 मी० = 32,188 घन मी०	पट्टा क्षेत्र से निकाली गयी अतिरिक्त खनिज की मात्रा (घन मी०) (6-7)	A- 24°27'47.05" N, 83°12'1.55" E B- 24°27'50.22" N, 83°12'4.64" E C- 24°27'43.03" N, 83°12'6.55" E D- 24°27'47.45" N, 83°12'6.76" E E- 24°27'47.40" N, 83°12'6.53" E F- 24°27'45.61" N, 83°12'6.14" E G- 24°27'46.14" N, 83°12'6.07" E H- 24°27'46.55" N, 83°12'6.77" E I- 24°27'45.35" N, 83°12'6.10" E M- 24°27'45.04" N, 83°12'6.07" E N- 24°27'46.25" N, 83°12'6.64" E O- 24°27'45.97" N, 83°12'3.43" E

(Handwritten signatures and marks)

खनन पट्टे के स्थल निरीक्षण के समय स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खनन कार्य किये जाने के चिन्ह परिलक्षित नहीं हुये। जाँच के समय स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में सी0सी0टी0वी0 कैमरा, वे ग्रीज, साईन बोर्ड एवं सीमा स्तम्भ लगे पाये गये, जिसमें से दो सीमा स्तम्भ क्षतिग्रस्त थे। प्रश्नगत क्षेत्र के लिये निर्गत पर्यावरण अनापत्ति में मात्रा 21,000 घन मी0 प्रतिवर्ष निर्धारित है। दिनांक 25.01.2021 तक पट्टेधारक द्वारा पट्टावर्ष में 11,175 घन मी0 मात्रा का उपयोग की जा चुकी है। 9,167 घन मी0 मात्रा अवशेष बची है। स्वीकृत क्षेत्र में खनन की स्थिति मानचित्र पर अंकित कर संलग्न की जा रही है।

5- मे0 बी0सी0एस0 इण्टर प्राइजेज पा0-श्री चन्द्र मूयण गुप्ता पुत्र श्री राम लखन गुप्ता निवासीओबरा, जनपद-सोनभद्र एवं श्री शफीक अहमद पुत्र श्री सागीर अहमद निवासी-ओबरा, जनपद-सोनभद्र।

प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में संयुक्त रूप से गठित टीम के सदस्यों द्वारा पैमाईश/निरीक्षण की गयी। खनन पट्टा क्षेत्र में दो स्थान में खनन पिट्स बनाकर खनन कार्य किया जाना पाया गया, जिसका जी0पी0एस0 द्वारा सर्वेक्षण किया गया है। खनन पट्टे का विवरण एवं जाँच आख्या निम्न प्रकार है:-

पट्टाधारक का नाम	आराजी संख्या	रकबा (एकड़ में)	पट्टा अवधि		इ0सी0 में स्वीकृत मात्रा (घन मी0 प्रति वर्ष)	पट्टाधारक द्वारा जारी किये गये प्रपत्र ई एम0 एम0-11 के अनुसार खनिज की मात्रा (घन मी0 में)	दिनांक 25.01.2021 को संयुक्त जांच आख्या के अनुसार वास्तविक खनन की मात्रा (ल0×चौ0 × ऊ0) (घन मी0 में)	खनन पट्टा क्षेत्र से निकाली गयी अतिरिक्त खनिज की मात्रा (घन मी0 में) (8-7)	जोड़कर कुल
			दिनांक से	दिनांक तक					
मे0 बी0सी0 एस0 इण्टर प्राइजेज	4419ख, 4419ग, 4422क मि0, 4416क, 7576, 7577ख, 4420मि0	4.86	26.05. 2016	25.05. 2026	पूर्व में मात्रा 40,000 घन मी0 थी जो दिनांक 05.12.2020 में बरामद होकर 1,00,000 घन मी0 हो गया है।	दिनांक 17.01.2020 से दिनांक 25.01.2021 तक 91,530 घन मी0 हेतु ई एम0एम0 11 जारी किया गया है।	(1) 92 मी0 × 80 मी0 × 12मी0 = 89,320 घन मी0 (2) 26 मी0 × 35 मी0 × 4.27 मी0 = 3,886 घन मी0 कुल 92,206 घन मी0	92,206 - 91,530 = 676	A- 24°27'45.45" N, 83°01'17.25" E B- 24°27'44.82" N, 83°01'13.35" E C- 24°27'39.75" N, 83°01'17.55" E D- 24°27'43.42" N, 83°01'15.45" E E- 24°27'43.15" N, 83°01'13.75" E F- 24°27'39.85" N, 83°01'14.55" E G- 24°27'38.71" N, 83°01'15.95" E H- 24°27'37.81" N, 83°01'15.85" E I- 24°27'33.77" N, 83°01'13.58" E J- 24°27'33.45" N, 83°01'13.75" E K- 24°27'39.52" N, 83°01'11.92" E

खनन पट्टे के स्थल निरीक्षण के समय स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खनन कार्य किये जाने के चिन्ह परिलक्षित नहीं हुये। जाँच के समय स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में सी0सी0टी0वी0 कैमरा, वे ग्रीज, साईन बोर्ड एवं सीमा स्तम्भ लगे पाये गये, जिसमें से दो सीमा स्तम्भ क्षतिग्रस्त थे। प्रश्नगत क्षेत्र के लिये निर्गत पर्यावरण अनापत्ति में मात्रा 1,00,000 घन मी0 प्रतिवर्ष निर्धारित है। दिनांक 25.01.2021 तक पट्टेधारक द्वारा पट्टावर्ष में 51,401 घन मी0 मात्रा का उपयोग की जा चुकी है। 48,599 घन मी0 मात्रा अवशेष बची है। स्वीकृत क्षेत्र में खनन की स्थिति मानचित्र पर अंकित कर संलग्न की जा रही है।

6- श्री राजेश कुमार पुत्र स्व0 कलीराम निवासी घोपन, जनपद सोनभद्र एवं श्रीमती फरीदा बेगम पत्नी श्री इम्तियाज अहमद निवासी घोपन, जनपद सोनभद्र।

प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में संयुक्त रूप से गठित टीम के सदस्यों द्वारा पैमाईश/निरीक्षण की गयी। खनन पट्टा क्षेत्र में एक स्थान में खनन पिट्स बनाकर खनन कार्य किया जाना पाया

(Handwritten signatures and marks)

गया, जिसका जी०पी०एस० द्वारा सर्वेक्षण किया गया है। खनन पट्टे का विवरण एवं जाँच आख्या निम्न प्रकार है:-

पट्टाधारक का नाम	आराजी शब्दा	रकबा (एकड़ में)	पट्टा अंक		इं०सी० में स्वीकृत मात्रा (घन मी० प्रति वर्ष)	पट्टाधारक द्वारा जारी शिरो पत्र ई एग०-11 के अनुसार खनिज की मात्रा (घन मी० में)	दिनांक 25.01.2021 को संयुक्त जाच आख्या के अनुसार वास्तविक खनन की मात्रा (20 x घं० x 11) (घन मी० में)	रकबा पट्टा क्षेत्र से निम्नली गयी अतिरिक्त खनिज की मात्रा (घन मी० में)	अधिकार क्षेत्र
			दिनांक से	दिनांक तक					
श्री ललेश कुमार एवं श्रीमती करीम देगम	7590, 7590, 7584	1.85	01.12.2018	30.11.2028	15,000 x 3 वर्ष = 45,000 घन मी०	दिनांक 17.12.2017 से दिनांक 25.01.2021 तक 36,854 घन मी० हेतु ई एग०एस० 11 जारी किया गया है।	71 मी० x 67 मी० x 7.81 मी० = 37,152 घन मी०	37,152 - 36,854 = 298	A-24°27'45.41"N 83°01'15.07"E B-24°27'28.21"N 83°01'22.17"E C-24°27'26.21"N 83°01'13.27"E D-24°27'37.26"N 83°01'15.27"E E-24°27'28.72"N 83°01'14.37"E F-24°27'29.71"N 83°01'14.37"E

खनन पट्टे के स्थल निरीक्षण के समय स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खनन कार्य किये जान के चिन्ह परिलक्षित नहीं हुये। जाँच के समय स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में सी०सी०टी०वी० कैमरा, घं घ्रिज, साईन बोर्ड एवं सीमा स्तम्भ लगे पाये गये, जिसमें से एक सीमा स्तम्भ क्षतिग्रस्त थे। प्ररनगत क्षेत्र के लिये निर्गत पर्यावरण अनापत्ति में मात्रा 15,000 घन मी० प्रतिवर्ष निर्धारित है। दिनांक 25.01.2021 तक पट्टेधारक द्वारा पट्टावर्ष में 3,014 घन मी० मात्रा का उपयोग की जा चुकी है। 11,986 घन मी० मात्रा अवशेष बची है। स्वीकृत क्षेत्र में खनन की स्थिति मानचित्र पर अंकित कर संलग्न की जा रही है।

7- श्री कैशर शिकोह पुत्र स्व० बशीर बेग निवासी ओबरा, तहसील रावर्टसगंज, जनपद सोनमद्र। प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में संयुक्त रूप से गठित टीम के सदस्यों द्वारा पैमाईश/निरीक्षण की गयी। खनन पट्टा क्षेत्र में तीन स्थान में खनन पिट्स बनाकर खनन कार्य किया जाना पाया गया, जिसका जी०पी०एस० द्वारा सर्वेक्षण किया गया है। खनन पट्टे का विवरण एवं जाँच आख्या निम्न प्रकार है:-

पट्टाधारक का नाम	आराजी शब्दा	रकबा (एकड़ में)	पट्टा अंक		इं०सी० में स्वीकृत मात्रा (घन मी० प्रति वर्ष)	पट्टाधारक द्वारा जारी शिरो पत्र ई एग०-11 के अनुसार खनिज की मात्रा (घन मी० में)	दिनांक 25.01.2021 को संयुक्त जाच आख्या के अनुसार वास्तविक खनन की मात्रा (20 x घं० x 11) (घन मी० में)	रकबा पट्टा क्षेत्र से निम्नली गयी अतिरिक्त खनिज की मात्रा (घन मी० में)	अधिकार क्षेत्र
			दिनांक से	दिनांक तक					
श्री कैशर शिकोह	आ०१० 1966 टाल आ ०१० 4478०	7.65	17.02.2011	18.02.2021	1,25,000 x 3 वर्ष = 3,75,000 घन मी०	दिनांक 01.09.2017 से दिनांक 25.01.2021 तक 2,25,222 घन मी० हेतु ई एग०एस० 11 जारी किया गया है।	(1) 98 मी० x 29 मी० x 45 मी० = 1,27,800 घन मी० (2) 51 मी० x 43 मी० x 30 मी० = 65,790 घन मी० (3) 60 मी० x 22 मी० x 24.30 मी० = 32,076 घन मी० कुल	2,25,756 - 2,25,222 = 534	A-24°28'55.33"N 83°11'10.74"E B-24°28'24.47"N 83°11'27.85"E C-24°28'22.42"N 83°11'28.65"E D-24°28'21.83"N 83°11'15.31"E E-24°28'20.43"N 83°11'15.60"E F-24°28'19.83"N 83°11'14.57"E G-24°28'19.83"N 83°11'13.94"E H-24°28'19.92"N 83°11'13.91"E I-24°28'20.71"N 83°11'13.94"E J-24°28'20.21"N 83°11'12.78"E K-24°28'21.47"N 83°11'13.17"E L-24°28'22.53"N 83°11'13.17"E

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

						2,25,756 मी०मी०		
--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--

खनन पट्टे के स्थल निरीक्षण के समय स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खनन कार्य किये जाने के चिन्ह परिलक्षित नहीं हुये। जाँच के समय स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में सी०सी०टी०वी० कैमरा, वे ब्रिज, साईन बोर्ड एवं सीमा स्तम्भ लगे पाये गये, जिसमें से तीन सीमा स्तम्भ क्षतिग्रस्त थे। प्रश्नगत क्षेत्र के लिये निर्गत पर्यावरण अनापत्ति में मात्रा 1,25,000 घन मी० प्रतिवर्ष निर्धारित है। दिनांक 25.01.2021 तक पट्टेधारक द्वारा पट्टावर्ष में 1,08,524 घन मी० मात्रा का उपयोग की जा चुकी है। 16,314 घन मी० मात्रा अवशेष बची है। स्वीकृत क्षेत्र में खनन की स्थिति मानचित्र पर अंकित कर संलग्न की जा रही है।

8- श्री शशि वैश्य पुत्र श्री रामजी वैश्य निवासी ग्राम-बारी डाला, तहसील-रावर्टसगंज, जनपद-सोनभद्र।

प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में संयुक्त रूप से गठित टीम के सदस्यों द्वारा पैमाईश/निरीक्षण की गयी। खनन पट्टा क्षेत्र में एक स्थान में खनन पिट्स बनाकर खनन कार्य किया जाना पाया गया, जिसका जी०पी०एस० द्वारा सर्वेक्षण किया गया है। खनन पट्टे का विवरण एवं जाँच आख्या निम्न प्रकार है:-

पट्टाधारक का नाम	आराजी संख्या	रकबा (एकड़ में)	पट्टा अवधि		इ०सी० मी स्वीकृत मात्रा (घन मी० प्रति वर्ष)	पट्टाधारक द्वारा जारी किये गये प्रपत्र ई एम० एम०-11 के अनुसार खनन की मात्रा (घन मी० में)	दिनांक 25.01.2021 को संगुणत जांच आख्या के अनुसार वस्तुविक्रय खनन की मात्रा (ल०×च०×ऊ०) (घन मी० में)	खनन पट्टा क्षेत्र से निकाली गयी अतिरिक्त मात्रा (घन मी० में) (8-7)	जोडोएरको संकेत
			दिनांक से	दिनांक तक					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
श्री शशि वैश्य	4826	2.50	30.05.2016	29.05.2028	20,000 × 1 वर्ष = 20,000 घन मी०	दिनांक 11.08.2020 से दिनांक 25.01.2021 तक 13,009 घन मी० हेतु ई एम०एम० 11 जारी किया गया है।	38 मी० × 44 मी० × 8.10 मी० = 13,543 घन मी०	13,543 - 13,009 = 534	A- 24°28'29.35" N, 83°00'11.07" E B- 24°28'29.13" N, 83°00'12.50" E C- 24°28'29.90" N, 83°00'12.55" E D- 24°28'30.57" N, 83°00'12.43" E E- 24°28'30.00" N, 83°00'14.56" E F- 24°28'29.40" N, 83°00'15.40" E G- 24°28'28.90" N, 83°00'15.03" E H- 24°28'27.60" N, 83°00'15.20" E I- 24°28'26.14" N, 83°00'15.75" E J- 24°28'26.90" N, 83°00'14.37" E K- 24°28'27.25" N, 83°00'14.20" E L- 24°28'27.49" N, 83°00'13.73" E M- 24°28'27.10" N, 83°00'13.55" E N- 24°28'27.50" N, 83°00'11.50" E O- 24°28'28.60" N, 83°00'11.13" E

खनन पट्टे के स्थल निरीक्षण के समय स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खनन कार्य किये जाने के चिन्ह परिलक्षित नहीं हुये। जाँच के समय स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में सी०सी०टी०वी० कैमरा, वे ब्रिज, साईन बोर्ड एवं सीमा स्तम्भ लगे पाये गये, जिसमें से दो सीमा स्तम्भ क्षतिग्रस्त थे। प्रश्नगत क्षेत्र के लिये निर्गत पर्यावरण अनापत्ति में मात्रा 20,000 घन मी० प्रतिवर्ष निर्धारित है। दिनांक 25.01.2021 तक पट्टेधारक द्वारा पट्टावर्ष में 13,063 घन मी० मात्रा का उपयोग की जा चुकी है। 6,937 घन मी० मात्रा अवशेष बची है। स्वीकृत क्षेत्र में खनन की स्थिति मानचित्र पर अंकित कर संलग्न की जा रही है।

9- मे० कृष्णा माइनिंग वर्क्स प्रा०-श्री मधुसूदन सिंह पुत्र श्री राम बदन सिंह निवासी सा०-हिनाती, थाना-घोरावल, जनपद-सोनभद्र एवं श्री दिलीप कुमार केशरी पुत्र स्व० लक्ष्मण प्रसाद निवासी-अयप्पा मंदिर, बिल्ली मारकण्डी, जनपद-सोनभद्र।

प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में संयुक्त रूप से गठित टीम के सदस्यों द्वारा पैमाईश/निरीक्षण की गयी। खनन पट्टा क्षेत्र में दो स्थान में खनन पिट्स बनाकर खनन कार्य किया जाना पाया

(Handwritten signatures)

गया, जिसका जी०पी०एस० द्वारा सर्वेक्षण किया गया है। खनन पट्टे का विवरण एवं जाँच आख्या निम्न प्रकार है:-

पट्टाधारक का नाम	आराजी संख्या	रकबा (एकड़ में)	पट्टा अवधि		ई०सी० में स्वीकृत मात्रा (घन मी० प्रति वर्ष)	पट्टाधारक द्वारा जारी किये गये प्रथम ई एम० एस०-11 के अनुसार राशिज की मात्रा (घन मी० में)	दिनांक 25.01.2021 को संयुक्त जाँच आख्या के अनुसार भारतदेशिक खनन की मात्रा (ल०×घ० × ऊ०) (घन मी० में)	खनन पट्टा क्षेत्र की नियत गयी अतिरिक्त राशिज की मात्रा (घन मी० में) (B-T)	जी०पी०एस० संकेत
			दिनांक से	दिनांक तक					
मे० कृष्णा माइनिंग वर्क्स पा०-श्री मधुसूदन सिंह	4823, 4821, 4814, 4847, 4848, 4849, 4850, 4851, 4860मि०, 4771, 4772, 4780, 4782, 4784, 4845, 4815मि०, 4816मि०, 4817मि०, 4818मि०, 4853मि०, 4820मि०, 4810मि०	8.79	30.05. 2016	29.05. 2026	1,00,000 × 2 वर्ष = 2,00,000 घन मी०	दिनांक 17.01. 2020 से दिनांक 25.01.2021 तक 1,57,157 घन मी० हेतु ई एम०एस० 11 जारी किया गया है।	(1) 94 मी० × 82 मी० × 15 मी० = 1,15,620 घन मी० (2) 80 मी० × 55 मी० × 9.6 मी० = 42,240 घन मी० कुल 1,57,860 घन मी०	1,57,860 - 1,57,157 = 703	A- 24°23'22.20" N, 83°00'14.90" E B- 24°28'25.90" N, 83°00'18.00" E C- 24°28'25.87" N, 83°00'18.69" E D- 24°23'25.26" N, 83°00'21.28" E E- 24°23'24.65" N, 83°00'21.28" E F- 24°28'25.48" N, 83°00'21.07" E G- 24°28'25.72" N, 83°00'19.65" E H- 24°28'27.50" N, 83°00'19.50" E I- 24°28'28.37" N, 83°00'21.43" E J- 24°28'27.84" N, 83°00'21.93" E K- 24°28'27.09" N, 83°00'21.93" E L- 24°28'25.00" N, 83°00'22.70" E M- 24°23'28.50" N, 83°00'23.30" E N- 24°28'28.45" N, 83°00'24.40" E O- 24°23'26.10" N, 83°00'23.90" E P- 24°28'24.50" N, 83°00'23.60" E Q- 24°28'23.30" N, 83°00'24.40" E R- 24°28'22.60" N, 83°00'25.30" E S- 24°23'22.20" N, 83°00'25.70" E T- 24°28'22.30" N, 83°00'22.10" E U- 24°28'21.70" N, 83°00'20.60" E V- 24°28'21.20" N, 83°00'20.20" E W- 24°23'21.00" N, 83°00'19.30" E X- 24°23'19.70" N, 83°00'18.60" E Y- 24°23'18.10" N, 83°00'21.20" E Z- 24°28'17.50" N, 83°00'20.70" E A'- 24°28'17.50" N, 83°00'19.80" E B'- 24°28'15.90" N, 83°00'19.60" E C'- 24°28'18.60" N, 83°00'15.20" E D'- 24°28'19.70" N, 83°00'15.70" E E'- 24°28'19.50" N, 83°00'16.60" E F'- 24°28'20.10" N, 83°00'16.60" E G'- 24°28'20.30" N, 83°00'16.20" E H'- 24°28'21.10" N, 83°00'16.20" E

खनन पट्टे के स्थल निरीक्षण के समय स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खनन कार्य किये जाने के चिन्ह परिलक्षित नहीं हुये। जाँच के समय स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में सी०सी०टी०वी० कैमरा, वे ब्रिज, साईन बोर्ड एवं सीमा स्तम्भ लगे पाये, गये, जिसमें से तीन सीमा स्तम्भ क्षतिग्रस्त थे। प्रश्नगत 25/01.2021 तक पट्टेधारक द्वारा पट्टेवार्ष में 58,669 घन मी० मात्रा का उपयोग की जा चुकी है। संलग्न की जा रही है।

10- मे० गंगा स्टोन्स पा०-श्री देव प्रकाश मौर्या पुत्र स्व० रामचरन मौर्या, श्री आलोक सिंह पुत्र स्व० प्रमू नरायन सिंह व श्री नवीन कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री रामेश्वर श्रीवास्तव निवासीगण ग्राम विल्ली मारकुण्डी, सोनमद्र।

प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में संयुक्त रूप से गठित टीम के सदस्यों द्वारा पैमाईश/निरीक्षण की गयी। खनन पट्टा क्षेत्र में चार स्थान में खनन पिट्स बनाकर खनन कार्य किया जाना पाया गया, जिसका जी०पी०एस० द्वारा सर्वेक्षण किया गया है। खनन पट्टे का विवरण एवं जाँच आख्या

(Handwritten signatures and marks)

निम्न प्रकार है:-

पट्टाधारक का नाम	आराजी संख्या	रकबा (एकड़ में)	पट्टा अवधि		इं०सी० में स्वीकृत मात्रा (घन मी० प्रति वर्ष)	पट्टाधारक द्वारा जारी किये गये प्रपत्र ई एम० एम०-11 के अनुसार खनिज की मात्रा (घन मी० में)	दिनांक 25.01.2021 को संयुक्त जांच आख्या के अनुसार वार्षिक खनन की मात्रा (घन मी० में)	खनन पट्टा क्षेत्र से निकाली गयी अतिरिक्त खनिज की मात्रा (घन मी० में)	जी०पी०एस० सिडिंग
			दिनांक से	दिनांक तक					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
श्री गंगा स्टोन पच्ची देव प्रकाश मीरवा	4822, 4825, 4838, 4839, 4840, 4841ख, 4842ख	8.00	31.05.2016	30.05.2026	75,000 × 1 वर्ष = 75,000 घन मी०	दिनांक 27.09.2020 से दिनांक 25.01.2021 तक 41,109 घन मी० हेतु ई एम० एम० 11 जारी किया गया है।	(1) 22 मी० × 70 मी० × 8 मी० = 12,320 घन मी०, (2) 38 मी० × 25 मी० × 12.80 मी० = 12,160 घन मी०, (3) 55 मी० × 15 मी० × 5.00 मी० = 4,125 घन मी०, (4) 35 मी० × 25 मी० × 15.00 मी० = 13,125 घन मी० कुल 41,730 घन मी०	41,730 - 41,109 = 621	A- 24°28'32.71" N, 83°00'20.17" E B- 24°28'31.43" N, 83°00'24.39" E C- 24°28'32.66" N, 83°00'24.95" E D- 24°28'31.13" N, 83°00'29.67" E E- 24°28'28.09" N, 83°00'26.58" E F- 24°28'28.66" N, 83°00'22.56" E G- 24°28'29.41" N, 83°00'22.30" E H- 24°28'29.61" N, 83°00'21.31" E I- 24°28'27.84" N, 83°00'19.41" E J- 24°28'25.84" N, 83°00'18.70" E K- 24°28'25.90" N, 83°00'19.00" E L- 24°28'26.50" N, 83°00'17.43" E

खनन पट्टे के स्थल निरीक्षण के समय स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खनन कार्य किये जाने के चिन्ह परिलक्षित नहीं हुये। जांच के समय स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में सी०सी०टी०पी० कैमरा, वे ब्रिज, साईन बोर्ड एवं सीमा स्तम्भ लगे पाये गये, जिसमें से तीन सीमा स्तम्भ क्षतिग्रस्त थे। प्रश्नगत क्षेत्र के लिये निर्गत पर्यावरण अनापत्ति में मात्रा 75,000 घन मी० प्रतिवर्ष निर्धारित है। दिनांक 25.01.2021 तक पट्टेधारक द्वारा पट्टावर्ष में 41,109 घन मी० मात्रा का उपयोग की जा चुकी है। 33,891 घन मी० मात्रा अवशेष बची है। स्वीकृत क्षेत्र में खनन की स्थिति मानचित्र पर अंकित कर संलग्न की जा रही है।

11- बालाजी स्टोन वर्क्स पा०-साकिब पुत्र शब्बीर खां निवासी रक्शाहां, जनपद-गाजीपुर हाल मुकाम अवकाश नगर, घोपन, जनपद-सोनभद्र

प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में संयुक्त रूप से गठित टीम के सदस्यों द्वारा पैमाईश/निरीक्षण की गयी। खनन पट्टा क्षेत्र में एक स्थान में खनन पिट्स बनाकर खनन कार्य किया जाना पाया गया, जिसका जी०पी०एस० द्वारा सर्वेक्षण किया गया है। खनन पट्टे का विवरण एवं जांच आख्या निम्न प्रकार है:-

पट्टाधारक का नाम	आराजी संख्या	रकबा (एकड़ में)	पट्टा अवधि		इं०सी० में स्वीकृत मात्रा (घन मी० प्रति वर्ष)	पट्टाधारक द्वारा जारी किये गये प्रपत्र ई एम० एम०-11 के अनुसार खनिज की मात्रा (घन मी० में)	दिनांक 25.01.2021 को संयुक्त जांच आख्या के अनुसार वार्षिक खनन की मात्रा (घन मी० में)	खनन पट्टा क्षेत्र से निकाली गयी अतिरिक्त खनिज की मात्रा (घन मी० में)	जी०पी०एस० सिडिंग
			दिनांक से	दिनांक तक					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(Handwritten signatures and marks)

खनन पट्टे का नाम	256	31.05.2016	30.05.2026	20,000 × 1 वर्ग = 20,000 घन मी०	दिनांक 23.09.2020 से दिनांक 25.01.2021 तक 11,300 घन मी० हेतु ई एमओएम 11 जारी किया गया है।	61.50 मी० × 4.9 मी० = 12,103.723	12,103 - 11,394 = 723	A- 24°28'25.93" N, 83°00'23.83" E B- 24°28'25.33" N, 83°00'24.42" E C- 24°28'25.14" N, 83°00'26.61" E D- 24°28'25.11" N, 83°00'28.24" E E- 24°28'24.60" N, 83°00'27.44" E F- 24°28'24.35" N, 83°00'25.00" E G- 24°28'25.33" N, 83°00'25.14" E
------------------	-----	------------	------------	---------------------------------	---	----------------------------------	-----------------------	---

खनन पट्टे के स्थल निरीक्षण के समय स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खनन कार्य किये जाने के चिन्ह परिलक्षित नहीं हुये। जाँच के समय स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में सी०सी०टी०वी० कैमरा, वे ब्रिज, साईन बोर्ड एवं सीमा स्तम्भ लगे पाये गये, जिसमें से तीन सीमा स्तम्भ क्षतिग्रस्त थे। प्रश्नगत क्षेत्र के लिये निर्गत पर्यावरण अनापत्ति में मात्रा 20,000 घन मी० प्रतिवर्ष निर्धारित है। दिनांक 25.01.2021 तक पट्टेधारक द्वारा पट्टावर्ष में 11,394 घन मी० मात्रा का उपयोग की जा चुकी है। 8,606 घन मी० मात्रा अवशेष बची है। स्वीकृत क्षेत्र में खनन की स्थिति मानचित्र पर अंकित कर संलग्न की जा रही है।

12- मे० मां कामाख्या स्टोन वर्क्स पा०-श्रीमती अंजू राय पत्नी श्री धीरज राय निवासिनी ग्राम-बिल्ली मारकुण्डी, जनपद-सोनमद्र

प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में संयुक्त रूप से गठित टीम के सदस्यों द्वारा पैमाईश/निरीक्षण की गयी। खनन पट्टा क्षेत्र में एक स्थान में खनन पिट्स बनाकर खनन कार्य किया जाना पाया गया, जिसका जी०पी०एस० द्वारा सर्वेक्षण किया गया है। खनन पट्टे का विवरण एवं जाँच आख्या निम्न प्रकार है:-

पट्टाधारक का नाम	आराजी संख्या	रकबा (एकड़ में)	पट्टा अवधि		इ०सी० में स्वीकृत मात्रा (घन मी० प्रति वर्ष)	पट्टाधारक द्वारा जारी किये गये प्रपत्र ई एमओ एम-14 के अनुसार खनन की मात्रा (घन मी० में)	दिनांक 25.01.2021 को संयुक्त जांच आख्या के अनुसार वास्तविक खनन की मात्रा (ल०×च०×ऊ०) (घन मी० में)	खनन पट्टा क्षेत्र से निकाली गयी अतिरिक्त खनन की मात्रा (घन मी० में) (8-7)	जी०पी०एस० कोडिंग
			दिनांक से	दिनांक तक					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मे० मां कामाख्या स्टोन वर्क्स पा०-वीमटी अंजू राय	5407क, 5408, 5407क, 5411	3.99	31.05.2016	30.05.2026	30,000 × 2 वर्ग = 60,000 घन मी०	दिनांक 12.04.2019 से दिनांक 25.01.2021 तक 36,861 घन मी० हेतु ई एमओएम 11 जारी किया गया है।	55 मी० × 4.3 मी० × 15.83 मी० = 37,438 घन मी०	37,438 - 36,861 = 577	A- 24°28'33.11" N, 83°00'23.35" E B- 24°28'33.93" N, 83°00'23.61" E C- 24°28'33.52" N, 83°00'24.91" E D- 24°28'35.27" N, 83°00'25.87" E E- 24°28'34.21" N, 83°00'30.42" E F- 24°28'33.19" N, 83°00'29.50" E G- 24°28'31.30" N, 83°00'30.85" E H- 24°28'30.66" N, 83°00'30.55" E I- 24°28'31.36" N, 83°00'29.58" E

खनन पट्टे के स्थल निरीक्षण के समय स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खनन कार्य किये जाने के चिन्ह परिलक्षित नहीं हुये। जाँच के समय स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में सी०सी०टी०वी० कैमरा, वे ब्रिज, साईन बोर्ड एवं सीमा स्तम्भ लगे पाये गये, जिसमें से दो सीमा स्तम्भ क्षतिग्रस्त थे। प्रश्नगत क्षेत्र के लिये निर्गत पर्यावरण अनापत्ति में मात्रा 30,000 घन मी० प्रतिवर्ष निर्धारित है। दिनांक 25.01.2021 तक पट्टेधारक द्वारा पट्टावर्ष में 13,413 घन मी० मात्रा का उपयोग की जा चुकी है। 14,437 घन मी० मात्रा अवशेष बची है। स्वीकृत क्षेत्र में खनन की स्थिति मानचित्र पर अंकित कर संलग्न की जा रही है।

13- मे० साई बाबा स्टोन वर्क्स पा०-श्रीमती अंजू राय पत्नी श्री धीरज राय निवासिनी ग्राम-बिल्ली मारकुण्डी, जनपद-सोनमद्र एवं श्रीमती शबनम परवीन पत्नी श्री नीसार अहमद निवासिनी-श्रीतानगर, चोपन, जनपद-सोनमद्र।

(Handwritten signatures and marks)

प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में संयुक्त रूप से गठित टीम के सदस्यों द्वारा पैमाईश/निरीक्षण की गयी। खनन पट्टा क्षेत्र में एक स्थान में खनन पिट्स बनाकर खनन कार्य किया जाना पाया गया, जिसका जी०पी०एस० द्वारा सर्वेक्षण किया गया है। खनन पट्टे का विवरण एवं जाँच आख्या निम्न प्रकार है:-

पट्टाधारक का नाम	आराजी संख्या	रकबा (एकड़ में)	पट्टा अवधि		इ०सी० में स्वीकृत मात्रा (घन मी० प्रति वर्ष)	पट्टाधारक द्वारा जारी किये गये प्रपत्र ई एम० एम-११ के अनुसार खनिज की मात्रा (घन मी० में)	दिनांक 25.01.2021 को संयुक्त जांच आख्या के अनुसार वार्षिक खनन की मात्रा (ल०×मी० × ज०) (घन मी० में)	खनन पट्टा क्षेत्र से निकाली गयी अतिरिक्त खनिज की मात्रा (घन मी० में) (8-7)	जोड़/घटाई सिद्ध
			दिनांक से	दिनांक तक					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
श्री साईं राम खान पट्टा क्षेत्र के निरीक्षण	54149	3.43	31.05.2016	30.05.2026	30,000 × 2 वर्ष = 60,000 घन मी०	दिनांक 12.04.2019 से दिनांक 25.01.2021 तक 45,806 घन मी० हेतु ई एम०एम० 11 जारी किया गया है।	80 मी० × 40.10 मी० × 14.40 मी० = 46,195 घन मी०	46,195 - 45,806 = 389	A-24°28'43.36" N, 83°00'23.37" E B-24°28'43.25" N, 83°00'23.38" E C-24°28'42.17" N, 83°00'23.15" E D-24°28'39.51" N, 83°00'23.66" E E-24°28'39.14" N, 83°00'23.67" E F-24°28'41.47" N, 83°00'23.31" E G-24°28'41.53" N, 83°00'23.62" E H-24°28'43.01" N, 83°00'23.01" E I-24°28'42.79" N, 83°00'25.70" E J-24°28'41.91" N, 83°00'25.44" E K-24°28'41.75" N, 83°00'25.55" E L-24°28'42.90" N, 83°00'23.61" E

खनन पट्टे के स्थल निरीक्षण के समय स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खनन कार्य किये जाने के चिन्ह परिलक्षित नहीं हुये। जाँच के समय स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में सी०सी०टी०वी० कैमरा, वे ब्रिज, साईन बोर्ड एवं सीमा स्तम्भ लगे पाये गये, जिसमें से एक सीमा स्तम्भ क्षतिग्रस्त थे। प्रश्नगत क्षेत्र के लिये निर्गत पर्यावरण अनापत्ति में मात्रा 30,000 घन मी० प्रतिवर्ष निर्धारित है। दिनांक 25.01.2021 तक पट्टेधारक द्वारा पट्टावर्ष में 16,584 घन मी० मात्रा का उपयोग की जा चुकी है। 12,116 घन मी० मात्रा अवशेष बची है। स्वीकृत क्षेत्र में खनन की स्थिति मानचित्र पर अंकित कर संलग्न की जा रही है।

14- मे० इशाना कन्सट्रक्शन प्रा० श्रीमती आफरीना खान पत्नी श्री इशियाक खान निवासिनी

ग्राम-विल्ली मारकुण्डी, ओवरा, जनपद-सोनमद्र।

प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में संयुक्त रूप से गठित टीम के सदस्यों द्वारा पैमाईश/निरीक्षण की गयी। खनन पट्टा क्षेत्र में एक स्थान में खनन पिट्स बनाकर खनन कार्य किया जाना पाया गया, जिसका जी०पी०एस० द्वारा सर्वेक्षण किया गया है। खनन पट्टे का विवरण एवं जाँच आख्या निम्न प्रकार है:-

पट्टाधारक का नाम	आराजी संख्या	रकबा (एकड़ में)	पट्टा अवधि		इ०सी० में स्वीकृत मात्रा (घन मी० प्रति वर्ष)	पट्टाधारक द्वारा जारी किये गये प्रपत्र ई एम० एम-११ के अनुसार खनिज की मात्रा (घन मी० में)	दिनांक 25.01.2021 को संयुक्त जांच आख्या के अनुसार वार्षिक खनन की मात्रा (ल०×मी० × ज०) (घन मी० में)	खनन पट्टा क्षेत्र से निकाली गयी अतिरिक्त खनिज की मात्रा (घन मी० में) (8-7)	जोड़/घटाई सिद्ध
			दिनांक से	दिनांक तक					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
श्री साईं राम खान पट्टा क्षेत्र के निरीक्षण	53339, 5338, 5341, 5343, 5345, 5347, 5349, 5352, 5354	6.60	27.05.2016	26.05.2026	40,000 × 1 वर्ष = 40,000 घन मी०	दिनांक 20.11.2020 से दिनांक 25.01.2021 तक 3,563 घन मी० हेतु ई	70 मी० × 25.70 मी० × 2.50 मी० = 4,200 घन मी०	4,200 - 3,563 = 637	A-24°28'47.16" N, 83°00'21.40" E B-24°28'47.47" N, 83°00'23.78" E C-24°28'48.56" N, 83°00'23.44" E D-24°28'48.75" N, 83°00'24.14" E E-24°28'48.44" N, 83°00'24.74" E F-24°28'46.61" N, 83°00'24.81" E

B354, B355, B356, B357, B358, B359						एम्प्लॉय 11 जारी किया गया है।			G-24°28'44.61"N, 83°00'27.55"E H-24°28'43.02"N, 83°00'25.00"E I-24°28'41.53"N, 83°00'25.67"E J-24°28'41.50"N, 83°00'24.24"E K-24°28'42.45"N, 83°00'23.61"E L-24°28'42.37"N, 83°00'24.18"E M-24°28'42.07"N, 83°00'24.57"E N-24°28'43.03"N, 83°00'24.41"E O-24°28'44.51"N, 83°00'19.77"E
---	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--

खनन पट्टे के स्थल निरीक्षण के समय स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खनन कार्य किये जाने के चिन्ह परिलक्षित नहीं हुये। जाँच के समय स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में सी0सी0टी0वी0 कैमरा, वे ब्रिज, साईन बोर्ड एवं सीमा स्तम्भ लगे पाये गये, जिसमें से एक सीमा स्तम्भ क्षतिग्रस्त थे। प्रश्नगत क्षेत्र के लिये निर्गत पर्यावरण अनापत्ति में मात्रा 40,000 घन मी0 प्रतिवर्ष निर्धारित है। दिनांक 25.01.2021 तक पट्टेधारक द्वारा पट्टावर्ष में 3,996 घन मी0 मात्रा का उपयोग की जा चुकी है। 36,004 घन मी0 मात्रा अवशेष बची है। स्वीकृत क्षेत्र में खनन की स्थिति मानचित्र पर अंकित कर संलग्न की जा रही है।

15- श्री अरुण कुमार पुत्र श्री अखिलेश्वर प्रसाद निवासी ग्राम-खैरटिया, पो0-ओबरा, तहसील-रावर्टसगंज, जनपद-सोनभद्र।

प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में संयुक्त रूप से गठित टीम के सदस्यों द्वारा पैमाईश/निरीक्षण की गयी। खनन पट्टा क्षेत्र में दो स्थानों में खनन पिट्स बनाकर खनन कार्य किया जाना पाया गया, जिसका जी0पी0एस0 द्वारा सर्वेक्षण किया गया है। खनन पट्टे का विवरण एवं जाँच आख्या निम्न प्रकार है:-

पट्टाधारक का नाम	आराजी संख्या	रकबा (एकड़ में)	पट्टा अवधि		ई0सी0 में स्वीकृत मात्रा (घन मी0 प्रति वर्ष)	पट्टाधारक द्वारा जारी प्रपत्र ई एम्प्लॉय-11 के अनुसार खनिज की मात्रा (घन मी0 में)	दिनांक 25.01.2021 को संयुक्त जाँच आख्या के अनुसार वास्तविक खनन की मात्रा (ल0×घी0 × फु0) (घन मी0 में)	खनन पट्टा क्षेत्र से निकाली गयी अतिरिक्त खनिज की मात्रा (घन मी0 में) (8-7)	जी0पी0एस0 निर्देश
			दिनांक से	दिनांक तक					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
श्री अरुण कुमार	5471, 5472, 5473, 5474, 5475, 5476, 5477, 5478, 5479, 5480	4.89	31.05.2018	30.05.2028	40,000 × 2 वर्ष = 80,000 0 घन मी0	दिनांक 19.04.2019 से दिनांक 25.01.2021 तक 1,02,307 घन मी0 हेतु ई एम्प्लॉय 11 जारी किया गया है।	(1) 84 मी0 × 80 मी0 × 12 मी0 = 90,240 घन मी0, (2) 40 मी0 × 43 मी0 × 7.50 मी0 = 12,900 घन मी0 कुल 1,03,140 घन मी0	1,03,140 - 1,02,307 = 833	A-24°28'45.20"N 83°0'19.54"E B-24°28'48.80"N 83°0'12.59"E C-24°28'50.45"N 83°0'13.29"E D-24°28'48.53"N 83°0'17.24"E E-24°28'51.06"N 83°0'13.70"E F-24°28'49.41"N 83°0'22.59"E G-24°28'48.73"N 83°0'20.44"E H-24°28'47.81"N 83°0'21.14"E

खनन पट्टे के स्थल निरीक्षण के समय स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खनन कार्य किये जाने के चिन्ह परिलक्षित नहीं हुये। जाँच के समय स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में सी0सी0टी0वी0 कैमरा, वे ब्रिज, साईन बोर्ड एवं सीमा स्तम्भ लगे पाये गये, जिसमें से एक सीमा स्तम्भ क्षतिग्रस्त थे। प्रश्नगत क्षेत्र के लिये निर्गत पर्यावरण अनापत्ति में मात्रा 40,000 घन मी0 प्रतिवर्ष निर्धारित है। दिनांक 25.01.2021 तक पट्टेधारक द्वारा पट्टावर्ष में 22,595 घन मी0 मात्रा का उपयोग की जा चुकी है। 16,422 घन मी0 मात्रा अवशेष बची है। स्वीकृत क्षेत्र में खनन की स्थिति मानचित्र पर अंकित कर संलग्न की जा रही है।

16- मे0 यथार्थ इण्टर प्राइजोज पा0-श्री आलोक कुमार सहाय पुत्र स्व0 श्रीनाथ सहाय निवासी मकान नं0-4/115, बी0आई0पी0 रोड, ओबरा, सोनभद्र।

(Handwritten signatures)

प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में संयुक्त रूप से गठित टीम के सदस्यों द्वारा पैमाईश/निरीक्षण की गयी। खनन पट्टा क्षेत्र में एक स्थान में खनन पिट्टा बनाकर खनन कार्य किया जाना पाया गया, जिसका जी०पी०एस० द्वारा सर्वेक्षण किया गया है। खनन पट्टे का विवरण एवं जॉच आख्या निम्न प्रकार है:-

पट्टाधारक का नाम	आसजी संख्या	रकबा (एकड़ में)	पट्टा अवधि		इ०पी० में स्वीकृत मात्रा (घन मी० प्रति वर्ष)	पट्टाधारक द्वारा जारी किये गये प्रपत्र ई एम० एम०-11 के अनुसार खनिज की मात्रा (घन मी० में)	दिनांक 25.01.2021 को संयुक्त जांच आख्या के अनुसार वास्तविक खनन की मात्रा (घन मी० में)	खनन पट्टा क्षेत्र से निकाली गयी अतिरिक्त खनिज की मात्रा (घन मी० में) (6-7)	जी०पी०एस० सैडिंग
			दिनांक से	दिनांक तक					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
श्री रमेश चन्द्र	5463	7.56	23.05.2016	22.05.2026	60,000 × 2 वर्ष = 1,20,000 घन मी०	दिनांक 19.04.2019 से दिनांक 25.01.2021 तक, 94,318 घन मी० हेतु ई एम०एम० 11 जारी किया गया है।	89 मी० × 70 मी० × 152 मी० = 94,698 घन मी०	94,696 - 94,318 = 378	A-24°28'54.38" N, 83°00'52.4" E B-24°28'53.67" N, 83°00'6.67" E C-24°28'53.70" N, 83°00'7.72" E D-24°28'52.05" N, 83°00'10.53" E E-24°28'49.30" N, 83°00'9.82" E F-24°28'43.15" N, 83°00'12.01" E G-24°28'45.43" N, 83°00'10.83" E H-24°28'45.00" N, 83°00'9.82" E I-24°28'45.48" N, 83°00'9.90" E J-24°28'45.66" N, 83°00'8.93" E K-24°28'47.41" N, 83°00'9.10" E L-24°28'48.38" N, 83°00'8.70" E M-24°28'47.85" N, 83°00'5.40" E N-24°28'48.84" N, 83°00'5.65" E O-24°28'49.29" N, 83°00'5.20" E P-24°28'49.89" N, 83°00'5.47" E Q-24°28'50.68" N, 83°00'3.24" E V-24°29'51.66" N, 83°00'3.61" E U-24°28'51.89" N, 83°00'5.06" E T-24°28'52.92" N, 83°00'5.31" E R-24°28'53.29" N, 83°00'5.75" E R-24°28'52.58" N, 83°00'4.83" E

खनन पट्टे के स्थल निरीक्षण के समय स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खनन कार्य किये जाने के चिन्ह परिलक्षित नहीं हुये। जॉच के समय स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में सी०सी०टी०वी० कैमरा, वे ब्रिज, साईन बोर्ड एवं सीमा स्तम्भ लगे पाये गये। प्रश्नगत क्षेत्र के लिये निर्गत पर्यावरण अनापत्ति में मात्रा 60,000 घन मी० प्रतिवर्ष निर्धारित है। दिनांक 25.01.2021 तक पट्टेधारक द्वारा पट्टावर्ष में 28,468 घन मी० मात्रा का उपयोग की जा चुकी है। 24,485 घन मी० मात्रा अवशेष बची है। स्वीकृत क्षेत्र में खनन की स्थिति मानचित्र पर अंकित कर संलग्न की जा रही है।

17- श्री रमेश चन्द्र वैश्य पुत्र स्व० कपूर चन्द्र वैश्य निवासी-17/203, चोपन रोड, ओबरा, जनपद-सोनभद्र।

प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में संयुक्त रूप से गठित टीम के सदस्यों द्वारा पैमाईश/निरीक्षण की गयी। खनन पट्टा क्षेत्र में एक स्थान में खनन पिट्टा बनाकर खनन कार्य किया जाना पाया गया, जिसका जी०पी०एस० द्वारा सर्वेक्षण किया गया है। खनन पट्टे का विवरण एवं जॉच आख्या निम्न प्रकार है:-

पट्टाधारक का नाम	आसजी संख्या	रकबा (एकड़ में)	पट्टा अवधि		इ०पी० में स्वीकृत मात्रा (घन मी० प्रति वर्ष)	पट्टाधारक द्वारा जारी किये गये प्रपत्र ई एम० एम०-11 के अनुसार खनिज की मात्रा (घन मी० में)	दिनांक 25.01.2021 को संयुक्त जांच आख्या के अनुसार वास्तविक खनन की मात्रा (घन मी० में)	खनन पट्टा क्षेत्र से निकाली गयी अतिरिक्त खनिज की मात्रा (घन मी० में) (6-7)	जी०पी०एस० सैडिंग
			दिनांक से	दिनांक तक					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

गया, जिसका जी०पी०एस० द्वारा सर्वेक्षण किया गया है। खनन पट्टे का विवरण एवं जाँच आख्या निम्न प्रकार है:-

पट्टाधारक का नाम	आराजी राख्या	रकबा (एकर में)	पट्टा अर्ध		इ०सी० में स्वीकृत मात्रा (घन मी० प्रति वर्ष)	पट्टाधारक द्वारा जारी किये गये प्रपत्र ई एम० एम०-११ के अनुसार खनिज की मात्रा (घन मी० में)	दिनांक 25.01.2021 को रांगुला जांच आख्या के अनुसार वार्षिक खनन की मात्रा (घन मी० में)	खनन पट्टा क्षेत्र से निकाली गयी अतिरिक्त खनिज की मात्रा (घन मी० में)	जी०पी०एस० सिटिंग
			दिनांक से	दिनांक तक					
श्री अशोक कुमार शर्मा	5374, 5375/10, 5377/10, 5378/10	2.75	31.05.2016	30.05.2026	18,000 × 2 वर्ष = 36,000 घन मी०	दिनांक 17.01.2020 से दिनांक 25.01.2021 तक 29,760 घन मी० हेतु ई एम० एम० 11 जारी किया गया है।	60 मी० × 60 मी० × 8.43 मी० = 30,348 घन मी०	30,348 - 29,760 = 588	A-24°28'50.38" N, 83°00'33.10" E B-24°28'49.90" N, 83°00'41.50" E C-24°28'47.78" N, 83°00'40.45" E D-24°28'47.29" N, 83°00'38.90" E E-24°28'47.13" N, 83°00'37.00" E F-24°28'47.34" N, 83°00'40.33" E G-24°28'45.30" N, 83°00'39.70" E H-24°28'45.90" N, 83°00'36.50" E

खनन पट्टे के स्थल निरीक्षण के समय स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खनन कार्य किये जाने के चिन्ह परिलक्षित नहीं हुये। जाँच के समय स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में सी०सी०टी०वी० कैमरा, वे ब्रिज़, साईन बोर्ड एवं सीमा स्तम्भ लगे पाये गये। प्रश्नगत क्षेत्र के लिये निर्गत पर्यावरण अनापत्ति में मात्रा 18,000 घन मी० प्रतिवर्ष निर्धारित है। दिनांक 25.01.2021 तक पट्टेधारक द्वारा पट्टावर्ष में 11,906 घन मी० मात्रा का उपयोग की जा चुकी है। 6,056 घन मी० मात्रा अवशेष बची है। स्वीकृत क्षेत्र में खनन की स्थिति मानचित्र पर अंकित कर संलग्न की जा रही है।

20- श्री विजय कुमार पुत्र स्व० राजीव लोचन निवासी-ए 6/34 सदर, महाल मुकीमगंज, जनपद-वाराणसी।

प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में संयुक्त रूप से गठित टीम के सदस्यों द्वारा पैमाईश/निरीक्षण की गयी। खनन पट्टा क्षेत्र में एक स्थान में खनन पिट्स बनाकर खनन कार्य किया जाना पाया गया, जिसका जी०पी०एस० द्वारा सर्वेक्षण किया गया है। खनन पट्टे का विवरण एवं जाँच आख्या निम्न प्रकार है:-

पट्टाधारक का नाम	आराजी राख्या	रकबा (एकर में)	पट्टा अर्ध		इ०सी० में स्वीकृत मात्रा (घन मी० प्रति वर्ष)	पट्टाधारक द्वारा जारी किये गये प्रपत्र ई एम० एम०-११ के अनुसार खनिज की मात्रा (घन मी० में)	दिनांक 25.01.2021 को संयुक्त जांच आख्या के अनुसार वार्षिक खनन की मात्रा (घन मी० में)	खनन पट्टा क्षेत्र से निकाली गयी अतिरिक्त खनिज की मात्रा (घन मी० में)	जी०पी०एस० सिटिंग
			दिनांक से	दिनांक तक					
श्री राजेश कुमार	8316, 8318, 8320, 8321, 8322, 8323, 8324, 8325, 8326, 8327, 8328, 8329, 8330, 8331, 8332	7.12	05.02.2011	04.02.2021	1,27,000 × 3 वर्ष = 3,81,000 घन मी०	दिनांक 23.08.2017 से दिनांक 25.01.2021 तक 2,90,842 घन मी० हेतु ई एम० एम० 11 जारी किया गया है।	173 मी० × 68 मी० × 19.55 मी० = 2,97,820 घन मी०	2,97,820 - 2,90,842 = 787	A-24°28'57.72" N, 83°04'09.00" E B-24°28'57.40" N, 83°04'07.80" E C-24°28'56.66" N, 83°04'08.20" E D-24°28'56.31" N, 83°04'06.30" E E-24°28'55.56" N, 83°04'11.20" E F-24°28'54.36" N, 83°04'11.51" E G-24°28'53.80" N, 83°04'11.81" E H-24°28'53.61" N, 83°04'12.25" E I-24°28'51.80" N, 83°04'11.44" E J-24°28'50.14" N, 83°04'11.94" E

5313 ए 5314				जायी किया गया है।						K-24°26'49'89"N 83° 0'41.90"E L-24°28'50.54"N 83° 0'38.26"E M-24°28'50.03"N 83° 0'38.59"E N-24°28'50.11"N 83° 0'38.16"E O-24°28'50.97"N 83° 0'37.32"E P-24°28'51.42"N 83° 0'37.10"E Q-24°28'51.37"N 83° 0'35.59"E R-24°28'52.73"N 83° 0'35.98"E S-24°28'52.26"N 83° 0'35.77"E T-24°28'53.23"N 83° 0'34.57"E U-24°28'53.73"N 83° 0'34.45"E V-24°28'54.09"N 83° 0'33.56"E W-24°28'54.91"N 83° 0'33.40"E X-24°28'53.43"N 83° 0'35.27"E Y-24°28'53.38"N 83° 0'35.54"E Z-24°28'55.28"N 83° 0'35.87"E A-24°28'54.99"N 83° 0'37.85"E B-24°28'55.40"N 83° 0'39.15"E C-24°28'54.67"N 83° 0'39.41"E D-24°28'54.67"N 83° 0'40.09"E E-24°28'55.60"N 83° 0'40.21"E F-24°28'55.34"N 83° 0'40.03"E G-24°28'57.04"N 83° 0'39.40"E H-24°28'57.29"N 83° 0'39.35"E I-24°28'57.33"N 83° 0'38.85"E J-24°28'57.83"N 83° 0'38.30"E K-24°28'58.43"N 83° 0'38.32"E L-24°28'58.69"N 83° 0'38.06"E M-24°28'58.12"N 83° 0'39.67"E
----------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	---

खनन पट्टे के स्थल निरीक्षण के समय स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खनन कार्य किये जाने के चिन्ह परिलक्षित नहीं हुये। जाँच के समय स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में सी०सी०टी०वी० कैमरा, वेब्रिज, साईन बोर्ड एवं सीमा स्तम्भ लगे पाये गये, जिसमें से चार सीमा स्तम्भ क्षतिग्रस्त थे। प्रश्नगत क्षेत्र के लिये निर्गत पर्यावरण अनापत्ति में मात्रा 1,27,000 घन मी० प्रतिवर्ष निर्धारित है। दिनांक 25.01.2021 तक पट्टेधारक द्वारा पट्टावर्ष में 1,26,998 घन मी० मात्रा का उपयोग की जा चुकी है। 02 घन मी० मात्रा अवशेष बची है। स्वीकृत क्षेत्र में खनन की स्थिति मानचित्र पर अंकित कर संलग्न की जा रही है।

21- श्री ज्ञानेन्द्र यादव पुत्र श्री राम करन यादव निवासी ग्राम-सेमरौल, पो०-मंगारी, जनपद-गाजीपुर एवं श्री शिवशंकर पुत्र श्री राम सनेही निवासी ग्राम-बिल्ली मारकुण्डी, जनपद-सोनभद्र।

प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में संयुक्त रूप से गठित टीम के सदस्यों द्वारा पैमाईश/निरीक्षण की गयी। खनन पट्टा क्षेत्र में एक स्थान में खनन पिट्स बनाकर खनन कार्य किया जाना पाया गया, जिसका जी०पी०एस० द्वारा सर्वेक्षण किया गया है। खनन पट्टे का विवरण एवं जाँच आख्या निम्न प्रकार है:-

पट्टाधारक का नाम	अराजकी संख्या	स्वाम्य (एकड़ में)	पट्टा अवधि		इं०सी० में स्वीकृत मात्रा (घन मी० प्रति वर्ष)	पट्टाधारक द्वारा जारी किये गये प्रपत्र ई एन० एन०-11 के अनुसार खनिज की मात्रा (घन मी० में)	दिनांक 25.01.2021 को संयुक्त जाँच आख्या के अनुसार खनन की मात्रा (घन मी० × 25 = 1,70,400 मी० में)	खनन पट्टा क्षेत्र से निष्काली गयी अतिरिक्त खनिज की मात्रा (घन मी० में) (8-7)	जी०पी०एस० शीट नं०
			दिनांक से	दिनांक तक					
श्री ज्ञानेन्द्र यादव एवं श्री शिवशंकर	5308, 5309क, 5310, 5315 ए, 5314ख	3.50	11.02.2011	10.02.2021	60,000 × 3 वर्ष = 1,80,000 घन मी०	दिनांक 08.10.2017 से दिनांक 25.01.2021 तक 1,75,867 घन मी० एवं ई एन० एन० 11	103.8 मी० × 68 मी० × 25 मी० = 1,70,400	1,70,400 - 1,75,867 = 593	A-24°28'58'29"N 83° 0'47.01"E B-24°28'56'94"N 83° 0'47.07"E C-24°28'56'87"N 83° 0'47.32"E D-24°28'55'16"N 83° 0'47.48"E E-24°28'54'19"N 83° 0'47.31"E F-24°28'52'83"N 83° 0'46.80"E G-24°28'53'13"N 83° 0'45.50"E H-24°28'54'22"N 83° 0'45.60"E I-24°28'54'84"N 83° 0'45.76"E

23- श्री राजेश कुमार पुत्र स्व० लक्ष्मण प्रसाद एवं श्री तारकोरवर प्रसाद पुत्र स्व० अमीर चन्द्र निवासीगण ग्राम बिल्ली मारकुण्डी, तहसील रावर्टसगंज, जनपद-सोनभद्र।

प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में संयुक्त रूप से गठित टीम के सदस्यों द्वारा पैमाईश/निरीक्षण की गयी। खनन पट्टा क्षेत्र में एक स्थान में खनन गिट्टा बनाकर खनन कार्य किया जाना पाया गया, जिसका जी०पी०एस० द्वारा सर्वेक्षण किया गया है। खनन पट्टे का विवरण एवं जाँच आख्या निम्न प्रकार है:-

पट्टाधारक का नाम	आराजी संख्या	रकबा (एकड़ में)	पट्टा अवधि		ई०सी० में स्वीकृत मात्रा (घन मी० प्रति वर्ष)	पट्टाधारक द्वारा जारी किये गये प्रपत्र ई एम०-11 के अनुसार खनिज की मात्रा (घन मी० में)	दिनांक 25.01.2021 को संगुका जांच आख्या के अनुसार वार्षिक खनन की मात्रा (घन मी० × 7)	खनन पट्टा क्षेत्र से निकाली गयी अतिरिक्त खनिज की मात्रा (घन मी० में) (8-7)	जॉच/सर्वेक्षण विवरण
			दिनांक से	दिनांक तक					
श्री राजेश कुमार एवं श्री तारकोरवर प्रसाद	4875, 4876, 486A, 4887	2.55	01.10.2015	30.09.2025	42,000 × 3 वर्ष = 1,26,000 घन मी०	दिनांक 30.12.2018 से दिनांक 25.01.2021 तक 1,00,424 घन मी० हेतु ई एम०एम० 11 जारी किया गया है।	93 मी० × 78 मी० × 13.95 मी० = 1,01,193 घन मी०	1,01,193 - 1,00,424 = 769	A-24°28'27.15"N 83°0'32.13"E B-24°28'26.33"N 83°0'36.07"E C-24°28'23.83"N 83°0'35.45"E D-24°28'24.37"N 83°0'31.84"E

खनन पट्टे के स्थल निरीक्षण के समय स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खनन कार्य किये जाने के चिन्ह परिलक्षित नहीं हुये। जाँच के समय स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में सी०सी०टी०वी० कैनरा, वे ग्रीज, साईन बोर्ड एवं सीमा स्तम्भ लगे पाये गये, जिसमें से दो सीमा स्तम्भ क्षतिग्रस्त थे। प्रश्नगत क्षेत्र के लिये निर्गत पर्यावरण अनापत्ति में मात्रा 42,000 घन मी० प्रतिवर्ष निर्धारित है। दिनांक 25.01.2021 तक पट्टेधारक द्वारा पट्टावर्ष में 16,118 घन मी० मात्रा का उपयोग की जा चुकी है। 25,118 घन मी० मात्रा अवशेष बची है। स्वीकृत क्षेत्र में खनन की स्थिति मानचित्र पर अंकित कर संलग्न की जा रही है।

24- मे० रमेश स्टोन क्रशर कम्पनी पा०-श्री माता प्रसाद पुत्र स्व० भगवती प्रसाद निवासी ग्राम-बारीडाला, जनपद-सोनभद्र।

मे० रमेश स्टोन क्रशर कम्पनी पा०-श्री माता प्रसाद पुत्र स्व० भगवती प्रसाद निवासी ग्राम-बारीडाला, जनपद-सोनभद्र के पक्ष में ग्राम-बिल्ली मारकुण्डी के आराजी संख्या-3508 हाल नं०-7407क रकबा-4.18 एकड़ में डोलो स्टोन के खनन पट्टे की अवधि समाप्त हो चुकी थी।


25- मे० शिवम स्टोन प्रोडक्ट प्रो०-श्रीमती बिन्दो देवी पत्नी श्री रमेश चन्द्र वैश्य निवासी-चोपन रोड, ओधरा तहसील-रावर्टसगंज, जनपद-सोनभद्र।

मे० शिवम स्टोन प्रोडक्ट प्रो०-श्रीमती बिन्दो देवी पत्नी श्री रमेश चन्द्र वैश्य निवासी-चोपन रोड, ओधरा तहसील-रावर्टसगंज, जनपद-सोनभद्र के पक्ष में ग्राम-बिल्ली मारकुण्डी के आराजी संख्या-4949ख रकबा-2.00 एकड़ में डोलो स्टोन के खनन पट्टे की अवधि समाप्त हो चुकी थी।


(Handwritten signatures)

उपरोक्त खनन पट्टा क्षेत्रों पर विगत कई वर्ष पूर्व से खननपट्टे स्वीकृत रहे हैं, पट्टाधारक द्वारा खान सुरक्षा निदेशालय, वाराणसी से मशीन चलाने तथा क्लारिफिंग करने हेतु अनुमति प्राप्त करते हुए खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त फोरमैन, गाइडिंग गेठ व क्लारिफर द्वारा क्लारिफिंग कराया जाता है। खान सुरक्षा महानिदेशक, वाराणसी द्वारा समय-समय पर खनन क्षेत्रों का निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण में जिन खदानों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित नहीं पाया जाता है, उन खदानों में खान सुरक्षा निदेशालय, वाराणसी द्वारा गाइन्स एक्ट, 1952 की धारा-22(3) के अन्तर्गत सामान्य खनन पर प्रतिबन्ध लगाते हुए खदान में केवल सुधारात्मक कार्य करने के निर्देश दिये जाते हैं। खदान सुरक्षा के दृष्टिकोण से सही हो जाने पर पुनः खान सुरक्षा निदेशालय के अधिकारियों द्वारा खदान के निरीक्षण करने के उपरान्त सुरक्षा मानक सही पाये जाने पर पट्टेधारक के उपर लगाये गये प्रतिबन्ध को वापस ले लिया जाता है। जनपद में संचालित खननपट्टों के सम्बन्ध में वर्तमान में खान सुरक्षा महानिदेशालय, वाराणसी द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त नहीं है। जाँच के समय खनन क्षेत्र में श्रमिकों द्वारा सुरक्षा उपकरण यथा हेलमेट, वेल्ड, रस्सी, जूता आदि उपकरणों का उपयोग किया जाना पाया गया।

अतः उपरोक्त जाँच आख्या सेवा में प्रेषित।


लेखपाल 30/01/2021

ग्राम-बिल्ली
मारकुण्डी


30/01/2021


मानचित्रकार

खनन विभाग


30-01-2021

सर्वेक्षक

खनन विभाग


30/01/2021

खान निरीक्षक

सोनभद्र


30/01/2021

तहसीलदार

ओवरा

जनपद- सोनभद्र

कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक ९ / खनिज / 2021

दिनांक 27/02/2021

श्री राजेश कुमार पुत्र स्व० कलीराम

निवासी चोपन, जनपद सोनभद्र

एवं श्रीमती फरीदा बेगम पत्नी श्री इम्तियाज अहमद

निवासी चोपन, जनपद सोनभद्र।

नोटिस

आपके पक्ष में जनपद-सोनभद्र की तहसील-ओवरा के ग्राम विल्ली मारकुण्डी की आराजी संख्या-7586, 7590, 7584 रकबा-1.85 एकड़ क्षेत्र पर दिनांक 01.12.2016 से 10 वर्ष की अवधि के लिये गिट्टी/बोल्डर(डोलो स्टोन) के खनन हेतु खनन पट्टा स्वीकृत है।

2. आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टे की जाँच दिनांक 21.01.2021 से दिनांक 25.01.2021 के मध्य राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से की गयी। संयुक्त टीम की जाँच आख्या दिनांक 30.01.2021 के अनुसार आप द्वारा दिनांक 17.12.2017 से दिनांक 25.01.2021 के मध्य 36,854 घन मी० हेतु ई० एम०एम०-11 जारी किये गये हैं, जबकि खनन स्थल पर मौजूद गड़ढे की पैमाईश के अनुसार आपने 37,152 घन मी० पत्थर का खनन किया हुआ पाया गया, जो निर्गत अभिवहन प्रपत्र में उल्लिखित मात्रा से 298 घन मी० अधिक है। उक्त जाँच में यह भी प्रतिवेदित किया है कि आपने रायल्टी की धनराशि का भुगतान किये बिना 298 घन मी० पत्थर को लब्ध किया है तथा सीमा स्तम्भों का अनुरक्षण भी प्रभावी ढंग से नहीं किया गया है।

3. उपरिलिखित संयुक्त जाँच आख्या दिनांक 30.01.2021 के अनुक्रम में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-2144/एम-प्रवर्तन सोनभद्र/2020 दिनांक 08 फरवरी, 2021 के द्वारा उपरिलिखित अतिरिक्त मात्रा के खनन के सम्बन्ध में रायल्टी, खनिमुख मूल्य के साथ-साथ नियमावली, 1963 के नियम-35 का उल्लंघन किये जाने के मामले में नियम-59 के अधीन कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उपरोक्तानुसार आप द्वारा अतिरिक्त रूप से लब्ध की गयी खनिज की मात्रा 298 घन मी० पर रुपये 160/- प्रति घन मी० की दर से रायल्टी रू० 47,680/- खनिमुख मूल्य रू० 2,38,400/- एवं नियम-59(3) के अधीन अर्थदण्ड रू० 25,000/- अर्थात् कुल रू० 3,11,080/- आपके ऊपर अधिरोपित की जाती है।

4. अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार अधिरोपित कुल धनराशि रू० 3,11,080/- को नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के भीतर खनिज लेखाशीर्षक में जमा कर, जमा चालान की मूल प्रति खनन कार्यालय में उपलब्ध करा दें। अन्यथा की स्थिति में आपके खनन पट्टे के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही संस्थित करते हुये उक्त धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूल करने की कार्यवाही की जायेगी।

12/2/21
(अभिषेक सिंह)
जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

C.S. 6

Annexure C-1 Collp

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-2

कोषागार प्रपत्र-200(1)

प्रपत्र संख्या-43 ए (1)
(प्रतर, 417 एवं 470 देखिये)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म


(कर्ज एवं अभिग अदायगी की धनराशि प्रपत्र संख्या-43 ए (2) द्वारा जमा की जायेगी)

उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा	SBI, Robertsganj
1-जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम व पता	श्री राजेश कुमार पुत्र स्व0 कलीराम निवासी चोपन, जनपद सोनमद एवं श्रीमती फरीदा बेगम पत्नी श्री इम्तियाज अहमद निवासी चोपन, जनपद सोनमद।
2-पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या	
3-जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है)	नोटिसा संख्या-533/खनिज/2021 दिनांक 12.02.2021 के क्रम में 298 घन मी0 अतिरिक्त गिट्टी पत्थर(डोलो स्टोन) का खनन किये जाने पर देय रायल्टी व खनिमुख मूल्य को साथ-साथ नियम-59(3) के अधीन अर्धदण्ड की धनराशि जमा कराये जाने के सम्बन्ध में।
4-जमा की जा रही धनराशि	3,11,080.00
5-लेखाशीर्ष का पूर्ण विवरण/गुहर	0853 -अतीह खनन तथा धातु कर्म उद्योग 00 - 102 -खनिज रियायत शुल्क किराया और खला शुल्क 01 -खनिज रियायत शुल्क किराया और खला शुल्क 00 -

0853008000100000
0853-अतीह खनन तथा धातु कर्म उद्योग
00

0 लेखाशीर्षका 18-निर्दिष्टाभिद्ध		अन्य पादिसों		अतिरिक्त शीर्ष		अतिरिक्त शीर्ष		अतिरिक्त शीर्ष		धनराशि (अंको में)		
पुनः लेखा शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	उप शीर्ष	उप शीर्ष	अतिरिक्त शीर्ष	अतिरिक्त शीर्ष							
0	8	5	3	0	0	1	0	2	0	0	रायल्टी	47,680.00
											खनिमुख मूल्य	2,38,400.00
											नियम-59(3) के अधीन अर्धदण्ड की धनराशि	25,000.00
योग:-											3,11,080.00	

धनराशि (शब्दों में) रू0 तीन लाख चार हज़ार अरसी मात्र।




धनराशि शीर्ष जो मुद्रित करने वाले निमाणीय अधिकारी का हस्ताक्षर व गुहर केवल उपरोक्त बैंक के प्रयोगार्थ

जमाकर्ता का नाम :
हस्ताक्षर

चालान संख्या:- C.A. 00055
दिनांक:-

अंको में
शब्दों में
10 000 000
70 000 000
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर



भारत सरकार/Government of India



खान सुरक्षा महानिदेशालय/Directorate General of Mines Safety

कार्यालय पता: S-2/639-36, वरुणा विहार कॉलोनी, सेंट्रल जेल रोड, वाराणसी, उत्तर प्रदेश - 221002.

संख्या S 29013/वा०क्षे०(उ०अं०)/S-178/2022/सोनभद्र/126-127 वाराणसी, दिनांक 28.01.2022

प्रेषक,

खान सुरक्षा निदेशक,
वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी।

सेवा में,

1. श्री राजेश कुमार, पुत्र- श्री कलीराम अग्रवाल,
मालिक- बिल्ली मारकुण्डी पत्थर खदान
(आ०सं० 7586,7590 & 7584,क्षे०- 01.85 एकड़)
निवासी: वार्ड सं०- 10, एस० बी० आई०
बैंक के बगल में, गौरव नगर, सेंधुअरी,
जनपद- सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) 231205

2. श्रीमती फरीदा बेगम,पत्नी- श्री इम्तियाज अहमद
मालकिन- बिल्ली मारकुण्डी पत्थर खदान (आ० सं०
7586, 7590 & 7584, क्षे०- 01.85 एकड़)
निवासीनी: अग्रवाल मार्केट, चोपन, वार्ड- 8, सेंधुअरी,
जनपद- सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) 231205

विषय **Imposition of Order under Section 22(3) of Mine Act, 1952 at Billi Markundi Stone Mine (Araji No.-7586, 7590 & 7584, Area- 01.85 acres) of village- Billi Markundi, Tahsil- Robertsganj, District- Sonebhadra (U.P.) belonging to Shri Rajesh Kumar & Smt Farida Begum.**

महोदय,

Please refer to the inspection and enquiry in Billi Markundi Stone Mine (Araji No.- 7586, 7590 & 7584, Area- 01.85 acres) of village- Billi Markundi, Tahsil- Robertsganj, District- Sonebhadra (U.P.) belonging to Shri Rajesh Kumar & Smt Farida Begum made by the undersigned on dated 24.01.2022.

During the inspection, following serious contraventions were observed: -

Regulation 34(6) read with the authorization granted vide this Directorate letter No.516462/NZ/Varanasi Region/PermExemp/2021/7921, dated 12.02.2021: The manager of the mine was present on the date of inspection and the mine was being worked without his presence/supervision. The mine shall not be worked in absence of the manager.

Regulation 37: No mine foreman was present on the date of inspection and the mine was being worked without the supervision of a mine foreman. No mining operation shall be carried out in the mine without supervision of mine foreman.

Regulation 106(2)(b) read with this Directorate's letter No. S 29020/वा०क्षे०(उ०अं०)/10/2018-19/Sonebhadra-Stone/1467-68,dated 25.05.2018: On the

southern side of the quarry, the side was found almost vertical of height about 68 m without forming any bench. On the northern side of the quarry, the side was found divided into two benches with the upper bench (being part of an abandoned adjoining lease) about 31 m in height and about 6-7 m in width (used as haul road) and the lower bench was about 34 m in height. On the western side, the side was found about 49 m in height without forming any bench. On the eastern side, there were two benches, the top bench being about 12 m in height and 6 m wide and the lower bench was about 27 m in height. 37

of the machine deployed for digging or excavation, and the breadth thereof shall not, in any case, be less than the height.

Regulation 164: The mine workings were extended to within 300m (Danger Zone) from the permanent structures like Billi Railway Station, hutments and crusher not belonging to the owner without obtaining permission from this Directorate.

No Blasting shall be conducted in the mine within danger zone of 300m from the said permanent surface structures without obtaining permission under Regulation 164(1B)(a), except with the limited aggregate maximum charge in all holes fired at one time not in excess of 2 Kilograms or if the blasting is done with delay detonators or other means and that there is a delay of at least half a second between successive shots fired, maximum charge of two kilograms can be used in each hole. However, irrespective of such precautions, no blasting shall be conducted in the mine within 100 m of any surface structure not belonging to the owner.

The above constitute serious contravention of Regulations 34(6), 37, 106(2)(b) & 164 of the Metalliferous Mines Regulation, 1961 and may result in to dangerous consequences for work persons employed in the mine.

Whereas for the above reasons, I am satisfied that **there exists urgent and immediate danger to the life and safety of persons employed in the mine. I, in exercise of powers conferred on the Chief Inspector of Mines (also designated as Director General of Mines Safety) under Section 22(3) of the Mines Act, 1952, and by virtue of authorization granted to me by the Chief Inspector of Mines (also designated as Director General of Mines Safety) under Sec.6(1) of the Mines Act, 1952, hereby prohibit the employment of persons in the mine, whose employment is not reasonably necessary for the purpose of removing the dangers, until the dangers aforesaid are removed.**

Work of removing the dangers, shall be done in the mine under personal supervision of a duly qualified manager, who shall submit to this office, a scheme/plan of action as to the manner of rectification to be undertaken for the removal of dangers aforesaid. The work of removal of danger shall be done in the following manner:

- a) **Formation of benches and sloping of sides, as required by the provisions of Regulation 106 of the Metalliferous Mines Regulation, 1961, shall be done top downwards only.**
- b) **Proper access shall be provided for transportation of minerals and persons to reach to the top of the opencast working, to reach to the benches that shall subsequently be formed, and to reach other working places of the mine.**
- c) **No person shall be engaged at the quarry floor or at the bottom of the high wall, or on ledges made in the high walls.**
- d) **Work of removal of danger shall be kept suspended whenever the manager is absent for any reason whatsoever.**
- e) **All approaches to the bottom of high walls sides shall be kept securely and effectively fenced so as to prevent any inadvertent entry to persons.**

You are further directed to ensure that a copy of order is kept posted on your mine's notice board for a period of three weeks from the date of receipt or till this order is vacated, whichever is earlier.

A copy of this order is being sent to the Central Govt., as prescribed by Section 23(5) of the Mines Act, 1952.

You are also requested to report compliance of the order to registered post in duplicate immediately. The order shall remain in force till the above irregularities are rectified and the order is vacated in writing.

Please acknowledge receipt of this letter.

भव दी य

खान सुरक्षा निदेशक
28/01/2022
वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी

पत्र क्रमांक : 63010300001 पत्र का नाम : विल्ली सारकुण्डी

पत्र - 1

खाता खातदार का नाम पिता/पति/ भवाम स्थान शीर्षक अधिकार खत के प्रत्येक गाँव प्रत्येक गाँव का खतदार खतदार परिवर्तन सम्बन्धी असा या उबका संख्या दिवस
 खातेकी क्रमा संख्याक का पत्रा संख्याक प्राण्य होने का की यापार संख्याक प्रत्येक गाँव का खतदार देर उनकी संख्या तथा दिनक सतिर और भारतगुजती असा देने
 संख्याक फसली पर्य कसली पर्य या संयात या ले अधिकारी का पर या ले अधिकारी का पर

1 2 3 4 5 6 7-12 13

2717क	0.1520		
3169	0.1520		
4739ग	0.1010		
4857	0.1770		
4877	0.8470		
4878ग	0.1890		
4898ग	0.0380		
5120ग	0.0890		
5201	0.0130		
5202	0.0440		
5232ख	0.0260		
5255ख	1.1510		
5300ख	0.0130		
5327क	0.0250		
5351ख	0.2790		
5397	0.2280		
5421	0.5690		
5422	0.0130		
5508	0.1140		
5563	0.1640		
5624ग	0.6450		
5745	0.2280		
5758	0.4550		
5777	0.1010		
6130	0.1140		
6152	0.0510		
6161	0.2660		
6181	0.1140		
6196	1.1130		
6232	0.0760		



4/1

आदेश : 63010300001 / विल्ली मारफुण्डी / 1416-1421 / 1 / 03673 / (1-9)

याद सं0217/424अन्तर्गत धारा 54एल0आर0एक्टता0के05-8-10सहायक अभिलेख अधिकारी ओबरा द्वारा यह आदेश पारित किया गया है कि ग्राम विल्लीमारफुण्डी स्थित आ0न02456का/0-5-0बीघा से वर्तमानखतों की नकल निरस्त होकर भूमि सभर्नी पुर पुल्लूय रामदेव व महाराज पुत्राण नारायण व सुखदेव व दरभाम पुत्राण रूईत ग्रामवासी का नाम वतौर असंक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। ह0र0का020-8-10 देखे आदेश खता सं0 3679पर दर्ज है ह0र0का018-12-2010 याद0 288/22331अन्तर्गत धारा 54एल0आर0एक्टता0के0 14-9-2011सहायक अभिलेख अधिकारी ओबरा ग्राम विल्लीमारफुण्डी स्थित आ0न0 7584/1-2-0-7589/0-4-0-7587ख/0-3-0बीघा से वर्तमान खतों का इन्द्राज निरस्त होकर इस पर पंचू पुर स्व0 रामलखन व अमरावती व रजवन्ती व फूलवन्ती व पुनवासी पुरीण रय0 रामलखन गाम्बारी का नाम वतौर असंक्रमणीय भूमिधर अधिकृत हो। ह0र0का021-9-11 याद सं0 22331पुनर्याप्त अन्तर्गत धारा 54एल0आर0 एक्ट रामलखन वनाम साकार में ग्राम विल्लीमारफुण्डी पर0 अगोसी स्थित ग्राम आ0न0 7584/1-2-0-7589/0-4-0-7587ख/0-3-0बीघा के वाकत इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-9-11का क्रियान्वयन एवं प्रभाव स्थापित किया जाता है। ह0र0का0 4-3-12 अर्थात् संख्या डी0 201116660099सत 210एल0आर0एक्ट ता0के0 21-11-14अभिलेख अधिकारीसोनभद्र के निर्णयानुसार सहायक अभिलेख अधिकारीओबरा द्वारा याद संख्या 288/22331में पारित आदेश दिनांक 14-9-2011निरस्त कर दिया गया है। ग्राम विल्लीमारफुण्डी पर0 अगोसी के आ0न0 7584/ 0.2780,7589/0.0510,7587ख/0.0380से वंचू पुर रामलखन व अमरावती व रजवन्ती व फूलवन्ती व पुनवासी पुराण स्व0रामलखन गाम्बारीका नाम निरस्त करके अक्षरिक भूमि राज्यसाकार के खतों में अधिकृत हो ह0र0का0 27-11-14



नकल कर्ता *[Signature]*
पुलना कर्ता *[Signature]*
अनु० राबू 28

प्रा० एच० की सं० (602)
प्रा० एच० देने का दि० 21/6/22
नकल तैयारी का दि० 23/06/22
नकल वापसी का दि० 23/06/22
देव शुक्ल *[Signature]*

सत्य प्रतिनिधि
तहसीलदार सादर
रावर्टसांज-सोनभद्र

